



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092022-238910
CG-DL-E-17092022-238910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]
No. 218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

[मामला सं. एडी (एसएसआर)-02/2022]

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नाममात्र रिम डिया कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित) के साथ या उसके बिना "नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 07/02/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 03 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/14/2015-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नाममात्र रिम डिया कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित) के साथ या उसके बिना नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों के आयातों के संबंध में

मूल जांच शुरू की थी। अंतिम जांच अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/14/2015-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाने की सिफारिश करते हुए जारी की थी। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 18 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये गये थे।

2. इसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 16 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/8/2018-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों' के आयातों के संबंध में एक नई शिपर समीक्षा जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा जांच रद्द करते हुए दिनांक 02 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या 7/8/2018-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी।
3. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन अथवा एटीएमए (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "आवेदक एसोसिएशन" भी कहा गया है) से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों' (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाये गया पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया था। घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध करने के लिए निर्धारित प्रारूपों के अनुसार संगत सूचना आवेदक एसोसिएशन (जिन्हें इसके "आवेदक कंपनी" भी कहा गया है) के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई है:

(i) अपोलो टायर्स लिमिटेड

(ii) जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और

(iii) एमआरएफ लिमिटेड

4. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

5. उपर्युक्तानुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करनी होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
6. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या 7/02/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
7. संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क को दिनांक 8 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 21/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा दिनांक 17 दिसंबर, 2022 तक और विस्तारित सहित बढ़ाया गया था।
8. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में 1 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/14/2015-डीजीएडी के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

ख. प्रक्रिया

9. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार वर्तमान जांच शुरू करने से पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 मार्च, 2022 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने दिनांक 30 मार्च, 2022 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों तथा आवेदक एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
- (i) एओलस टायर कं., लिमिटेड
 - (ii) डिंगयिंग झोंगयी रबर कंपनी लिमिटेड
 - (iii) डबलस्टार-डोंगफेंग टायर कंपनी लिमिटेड
 - (iv) गीती रेडियल टायर (अनहुई) कंपनी लिमिटेड
 - (v) गुआंगज़ौ पर्ल रिवर रबर टायर लिमिटेड
 - (vi) हाओयू टायर कं., लिमिटेड
 - (vii) जियांग्सू जनरल साइंस टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड
 - (viii) कुपो चेंगशान (शेडोंग) टायर कं., लिमिटेड
 - (ix) केंडा रबर (चीन) कं., लिमिटेड
 - (x) मिशेलिन (शेन यांग) टायर कं., लिमिटेड
 - (xi) पिरेली टायर कं., लिमिटेड
 - (xii) क्रिंगदाओ येलो सी रबर कंपनी लिमिटेड
 - (xiii) शान डोंग जिन यू औद्योगिक कं., लिमिटेड
 - (xiv) क्रिंगदाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रियल कं., लिमिटेड
 - (xv) शेडोंग वांडा बोटो टायर कं., लिमिटेड
 - (xvi) शेडोंग हेंगफेंग रबड़ और प्लास्टिक कं., लिमिटेड
 - (xvii) शेडोंग जिंगयुआन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं., लिमिटेड
 - (xviii) शेडोंग यिनबाओ टायर ग्रुप कं., लिमिटेड
 - (xix) शंघाई टाइप एंड रबर कं., लिमिटेड
 - (xx) शेडोंग वानक्सिन टायर कं., लिमिटेड

- (xxi) ट्राएंगल टायर कंपनी लिमिटेड
 - (xxii) शेंगताई ग्रुप कं., लिमिटेड
 - (xxiii) सिचुआन हैडा रबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - (xxiv) लिंगलॉग
 - (xxv) गुइझोउ टायर
 - (xxvi) सेलुन टायर
 - (xxvii) जियानक्सिन टायर (फुज़ियान) कंपनी लिमिटेड
 - (xxviii) ताइशन शेडोंग टायर कंपनी लिमिटेड
 - (xxix) प्रिंक्स चेंगशान
 - (xxx) झिंगस रबर
 - (xxxi) गुआंगशी न्यू गुइलुन रबर कंपनी लिमिटेड
 - (xxxii) टियांजिन वांडा टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- छ. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और/अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत/ दायर किए हैं:
- (i) क्लिंगदाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रियल कं., लिमिटेड ("डीएस क्लिंगदाओ")
 - (ii) डबलस्टार इंटरनेशनल ट्रेडिंग (हांगकांग) कं., लिमिटेड ("डीएस एचके")
 - (iii) शेडोंग योंगफेंग टायर्स कं., लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं।
- (i) एजी. इंडस्ट्रीज
 - (ii) एजीके डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
 - (iii) ऑडियो गैलेक्सी
 - (iv) एओलस टायर इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
 - (v) एलायंस ट्रेडर्स
 - (vi) अखिल इम्पेक्स बिल्डिंग
 - (vii) अमित इंटरप्राइजेज
 - (viii) अरोडा इंटरप्राइजेज
 - (ix) सेलाइट टायर कॉर्पोरेशन
 - (x) असिस इंटरप्राइजेज
 - (xi) कैरोलीन फर्निशर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - (xii) चड्ढा टायर ट्रेडर्स
 - (xiii) दिल्ली टायर शॉपी
 - (xiv) डीप इंटरप्राइजेज
 - (xv) इलेक्ट्रो लिंक
 - (xvi) दशमेश ट्रेडिंग कंपनी

- (xvii) ईएस इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
- (xviii) एकनूर टायर्स प्राइवेट लिमिटेड।
- (xix) ग्लोबस कॉर्पोरेशन
- (xx) गुप्ता टायर हाउस
- (xxi) जेनेटिक सेल्स कारपोरेशन
- (xxii) गणपति ओवरसीज
- (xxiii) एच.एस. इंटरनेशनल
- (xxiv) हिंद ट्रेडर्स
- (xxv) एच.एस. अरोड़ा एंड कंपनी
- (xxvi) एच.डी. इंटरनेशनल
- (xxvii) हायर ट्रेडिंग कंपनी
- (xxviii) हिंद ट्रेडर्स
- (xxix) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन
- (xxx) के एस बी ग्रुप
- (xxxi) शिव शक्ति इंटरप्राइजेज
- (xxxii) नंद रबर प्राइवेट लिमिटेड
- (xxxiii) पारस ऑटो पार्ट्स
- (xxxiv) प्रेम ट्रेडिंग कंपनी
- (xxxv) राजपाल रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
- (xxxvi) पायनियर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
- (xxxvii) रामेश्वर दास एंड कंपनी
- (xxxviii) आर एस इंटरप्राइजेज
- (xxxix) यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी

झ. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, पायनियर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और टायर इंपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, दोनों ही हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत संबद्ध सामानों के आयातक संघ होने का दावा करते हैं और मौखिक सुनवाई में प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तथापि, एसोसिएशन के किसी भी सदस्य ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तरों/कानूनी अनुरोधों का समय पर उत्तर नहीं दिया अथवा प्रस्तुत नहीं किया। टायर इंपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने निर्धारित समय सीमा के बाद अनुरोध दायर किए।

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात प्रयोक्ता एसोसिएशन को प्रश्नावलियां भेजीं।

- (i) अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस
- (ii) सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स
- (iii) ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल
- (iv) ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन

ट. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची

उन सभी को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करने के अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी क्योंकि सार्वजनिक फाइल चल रही वैश्विक महामारी के कारण वास्तविक रूप से पहुँच में नहीं थी।

- ठ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2020 से सितंबर, 2021 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि मानी गई है।
- ड. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के लिए डीजी सिस्टम से लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त किए। आवेदक एसोसिएशन ने चीन सीमा शुल्क से प्राप्त आयात आंकड़ों को भी प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी ने लेनदेनों की उचित जांच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया है।
- ढ. घरेलू उद्योग और उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- ण. क्षतिरहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 08 अगस्त, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए गए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हैं, तो वे दायर करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें अपने खंडन की प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
- थ. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता, हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 07.09.2022 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए दिनांक 13.09.2022 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- द. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर उनकी साक्ष्य के साथ समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच में संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- ध. प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया, जो संभावित सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है और संगत तथा संभावित मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- प. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया है।
- फ. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में "****" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई दर्शाते हैं।
- ब. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 74.53 रुपये है।

ग. विचाराधीन और समान वस्तु**ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नाममात्र रिम डिया कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित) के साथ या उसके बिना "नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर" है। चूंकि वर्तमान जांच एक एक निर्णायक समीक्षा है, अतः विचाराधीन उत्पाद पूर्व जांच परिभाषित किए गए अनुसार ही रहता है। इस अवधि में कोई विकास नहीं हुआ।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है। समान वस्तु के मुद्दे की प्राधिकारी द्वारा पिछली जांचों में भी पहले ही जांच की जा चुकी है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नाममात्र रिम डिया कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित) के साथ या उसके बिना "नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर" है। विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किया गया था, जिसे अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"8.

(i) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नाममात्र रिम डिया कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित) के साथ या उसके बिना "नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर" है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में ट्यूब टाइप और ट्यूबलेस दोनों शामिल हैं। ट्यूब टाइप टायर में, एक वाहन में एक ट्यूब और एक फ्लैप के साथ टायर का उपयोग किया जाता है। एक टायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप को एक साथ "टायर सेट" के रूप में बेचा जाता है और "टीटीएफ" के रूप में वर्णित है। "टायर सेट" को दर्शाने के लिए उद्योग में "टीटीएफ" शब्द प्रचलित है। टायर, ट्यूब और फ्लैप संयुक्त रूप से एक वाहन में "टायर" का कार्य करते हैं। टायर, ट्यूब और फ्लैप की बिक्री मुख्य रूप से "टीटीएफ" अथवा "टायर सेट" आधार पर है। ट्यूबलेस रेडियल टायर, जहां ट्यूब और फ्लैप की आवश्यकता नहीं होती है, वे भी इस जांच के क्षेत्र में हैं।

(ii) आयातित उत्पाद के क्षेत्र में केवल बसों और लॉरियों/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले रेडियल टायर शामिल हैं... अन्य सभी प्रकार के टायर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

(iii) संबद्ध सामानों को अध्याय 40 में वर्गीकृत किया गया है। टायर सीमा शुल्क उपशीर्ष संख्या 40112010 के तहत वर्गीकृत हैं तथा ट्यूब और फ्लैप क्रमशः 40131020 और 40129049 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी तरह जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

(iv) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि टीबीवी के आयात पर पहले से ही चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगा रहा है और यह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। सीमाशुल्क उप-शीर्ष संख्या 40112010 के तहत वर्गीकरणीय विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के तहत आने वाले सभी टायर और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के क्रमशः 40131020 और 40129049 के तहत वर्गीकरणीय ट्यूब और फ्लैप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं और अन्य सभी प्रकार के टायर, ट्यूब और फ्लैप जो इन सीमा शुल्क वर्गीकरण के तहत वर्गीकरणीय नहीं हैं, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।"

13. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है, जैसा कि पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किया गया था। संबद्ध सामानों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 40 के तहत वर्गीकृत किया गया है। टायरों को सीमा शुल्क उपशीर्ष 40112010 के तहत वर्गीकृत किया गया है तथा ट्यूब और फ्लैप क्रमशः 40131020 और 40129049 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी तरह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

14. प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने परस्पर पारस्परिक रूप से इन दोनों का प्रयोग किया है और कर रहे हैं। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क. सिएट की भागीदारी का अभाव और घरेलू उद्योग के गठन में परिणामी परिवर्तन क्षति की संभावना की निष्पक्ष जांच को रोकता है। निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग के एक घटक के रूप में एक कंपनी को अलग करने, जो मूल जांच में आवेदक घरेलू उत्पादकों में से एक थी और घरेलू उद्योग का एक घटक थी, की घरेलू उद्योग के लिए अनुकूल स्थिति पेश करने के एकमात्र इरादे से अनुमति नहीं दी जा सकती है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. वर्तमान आवेदन पत्र अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड की ओर से एटीएमए द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियां संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

ख. भारत में संबद्ध सामानों के अन्य घरेलू उत्पादक हैं जैसे बिरला टायर्स, ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल इंडिया लिमिटेड, मिशेलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिएट लिमिटेड।

ग. आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादन भारतीय उत्पादन का 50% से अधिक है। तदनुसार आवेदक कंपनियों के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

घ. आवेदक कंपनियों ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध हैं।

ड. वर्तमान जांच में सिएट की गैर-भागीदारी संभावना की निष्पक्ष जांच को नहीं रोकती है। प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों पर विश्वास किया गया है जिसमें घरेलू उद्योग की संरचना को एक समीक्षा मामले में बदल दिया गया था।

च. आवेदक कंपनियां, घरेलू उद्योग हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के तहत आधार की अपेक्षा को पूरा करती हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

18. यह आवेदन पत्र विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड की ओर से एटीएमए द्वारा दायर किया गया है, जिन्होंने वर्तमान जांच के लिए विस्तृत सूचना दी है। आवेदक कंपनियों का कुल भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा है। संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनियों का प्रमुख अनुपात है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वे न तो संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध हैं और न ही भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं।

19. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और यह भी मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
20. जहां तक वर्तमान जांच में सिएट की भागीदारी के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि नियम 23 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा शुरू करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एमआरएफ लिमिटेड घरेलू उद्योग बनने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के तहत मानदंडों को पूरा करते हैं। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग ने निरंतर क्षति का दावा नहीं किया है और इसलिए "घरेलू उद्योग के लिए अनुकूल स्थिति पेश करने के एकमात्र इरादे" से सिएट की गैर-भागीदारी का सवाल ही नहीं उठता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र बिना किसी उचित औचित्य के दावा की गई गोपनीय सूचना के अगोपनीय सार प्रदान करने में विफल रहा है जिससे नियमावली और व्यापार सूचना का उल्लंघन हुआ है।
- ख. याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहा है।
- ग. उपर्युक्त व्यापार सूचना के संदर्भ में आंकड़ों के प्रकटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए घरेलू उत्पादकों के बीच कंपनी की विशिष्ट सूचना का प्रकटन नहीं होगा। अतः, ऐसी सूचना का प्रकटन न करने का कोई अच्छा कारण नहीं है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

22. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. दायर किए गए उत्तर कमीपूर्ण हैं तथा व्यापार सूचना 10/2018 और व्यापार सूचना 01/2013 के उल्लंघन में हैं, जिससे घरेलू उद्योग को अपने अधिकारों की रक्षा करने से रोका जा रहा है। निर्यातकों ने सार्वजनिक क्षेत्र में गोपनीय, व्यापारिक स्वामित्व के दुर्भावनापूर्ण आधार पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, और उत्तर देने में भी विफल रहे हैं।
- ख. आवेदक के गोपनीयता के दावे व्यापार सूचना 01/2013 के अनुपालन में हैं। यदि प्राधिकारी का यह मत है कि आवेदक व्यापार सूचनाओं का अनुपालन करने में विफल रहा है, तो आवेदक को कानून के अनुसार अपेक्षित कोई संशोधन किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:
- (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

24. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे की अनुमति दी। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो स्वभाव में गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटन किसी प्रतियोगी के लिए काफी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति पर, जिससे सूचना प्राप्त की है, काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), अथवा जो किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी जाती है, अच्छे कारण दिखाए जाने पर, प्राधिकारी द्वारा ऐसा माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना को प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता है।
25. प्राधिकारी ने आवेदक और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण से युक्त सार्वजनिक फाइल उपलब्ध कराई।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
- क. शेडोंग योंगफेंग टायर्स कं, लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं होने के कारण मूल जांच में भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, आयात प्रतिबंधों के कारण वर्तमान जांच की अवधि में निर्यात करने में असमर्थ था। तथापि, सहयोगी उत्पादक के रूप में भाग लिया और प्रतिकारी शुल्क जांच में अलग दर प्रदान की गई थी।
- ख. संबद्ध सामानों के लिए एक साथ तीन गैर-प्रशुल्क बाधाएं मौजूद हैं।
- ग. क्षति की संभावना का आकलन चीन सीमा शुल्क पर विश्वास करके नहीं किया जा सकता है और न ही डीजीसीआईएंडएस से आंकड़ों आयात पर।
- घ. चीन सीमा शुल्क और डीजीसीआईएंडएस के बीच का अंतर चीन से निर्यात और भारत में आयात के बीच समय के अंतर के कारण है।
- ङ. डीजीसीआईएंडएस द्वारा दिए गए आंकड़ों को किसी भी विदेशी सीमा शुल्क प्राधिकारी के तथाकथित आंकड़ों पर तरजीह दी जानी चाहिए।
- च. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से "पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन" के आयात पर निर्णायक समीक्षा जांच में अपने पिछले अंतिम निष्कर्षों में यह माना है कि एक विदेशी सीमा शुल्क प्राधिकारी और डीजीसीआईएंडएस के तथाकथित आंकड़ों के बीच अंतर का तर्क प्राधिकारी के निर्णय के क्षेत्र से बाहर है।
- छ. प्राधिकारी और डीजीसीआईएंडएस दोनों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में आते हैं। अतः, प्राधिकारी को व्यापार आंकड़ों पर भारतीय प्रमुख प्राधिकारी द्वारा दिए गए आंकड़ों को अविश्वसनीय और चीन सीमा शुल्क प्राधिकारी के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मानना चाहिए।
- ज. विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा हमेशा उस मात्रा से कम होगी जिसके लिए डीजीएफटी ने आयात लाइसेंस दिए हैं। प्राधिकारी उस मात्रा को सत्यापित करने के लिए डीजीएफटी से जांच कर सकते हैं जिसके लिए उसने आयात लाइसेंस दिए हैं।
- झ. प्राधिकारी के पास चीन सीमा शुल्क को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है। ऐसी संभावना है कि सामानों को फिर से निर्यात किया जा सकता था अथवा अन्य देशों के लिए लदान किया जा सकता था और भारतीय सीमा शुल्क मंजूरी नहीं ली।
- ञ. पहुंच मूल्य की पुनर्गणना की जानी चाहिए क्योंकि चीन से आयातों पर सीमा शुल्क की दर एचएस कोड के अनुसार 15%, सीमा प्रशुल्क के कारण 14% रियायत (बैंकों करार नियमावली, 1976 के तहत सामानों के मूल का निर्धारण) और वित्त अधिनियम, 2018 के तहत 10% सामाजिक कल्याण अधिभार है। संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू सीमा शुल्क की प्रभावी दर 12.9% है।
- ट. सीसीआई ने पहले ही यह निर्धारित कर लिया है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी परिपाटियों में लिस होकर कृत्रिम रूप से इसकी कीमतों में वृद्धि की है। अतः, प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी क्षति विश्लेषण जो याचिकाकर्ता की कृत्रिम रूप से उच्च कीमतों के साथ आयातों की कीमतों की तुलना करता है, गलत तथ्यात्मक स्थिति को दर्शाएगा।

- ठ. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद कीमतों के निर्धारण से संबंधित प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार में भी शामिल रहा है। याचिकाकर्ता को यह दर्शाना चाहिए कि घरेलू कीमतें बाजार संचालित हैं।
- ड. अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक की अवधि को अलग करें जो कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित थी।
- ढ. 5 वर्ष की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति मानदंड है जबकि शुल्क को जारी रखना मानदंड का अपवाद है। पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए नियम 23(1ख) के तहत अपवाद को लागू करने के लिए कोई भी परिस्थिति मौजूद नहीं है।
- ण. एक उत्पाद के रूप में टायरों के आयात की प्राधिकारी द्वारा वर्षों से लगातार जांच की गई है और घरेलू उद्योग को लंबे समय से संरक्षण दिया गया है।
- त. घरेलू उत्पादकों ने टायरों के लिए आयात नीति में संशोधन के बाद संबद्ध सामानों की कीमतों में वृद्धि की है, जिससे प्रयोक्ता उद्योग का शोषण हो रहा है। संदर्भ क्रिसिल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का दिया जाता है।
- थ. घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का आकलन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के बाद की जांच की जानी चाहिए।
- द. 5 वर्षों के दौरान भारतीय टायर उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़कर 99.5% हो गया है और चीन जन. गण. से आयात में गिरावट आई है।
- ध. पिछले 5 वर्षों में टायरों की कीमत में 25-28% तक वृद्धि हुई है और उद्योग को असामान्य लाभ हुआ है। छोटे प्लेटी ऑपरेटरों जैसे प्रयोक्ताओं को कीमतों में वृद्धि के कारण हानि हुई है।
- न. डबलस्टार किंगदाओ और डबलस्टार हांगकांग ने अपनी संबद्धता, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन अथवा बिक्री में भागीदारी, भारत को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में शामिल होना, विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति शृंखला में उनकी भूमिका और प्रत्येक कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के विवरण सहित संबंधित कंपनियों के बारे में प्राधिकारी को पूरी सूचना दी है।
- प. उत्तरदाताओं के समूह ढांचे के संबंध में सभी संगत सूचना प्राधिकारी के समक्ष पहले से ही रिकॉर्ड में है और उत्तरदाताओं द्वारा उनके प्रश्नावली उत्तर के हिस्से के रूप में दी गई है। उत्तरदाताओं के समूह के संबंधित पक्षकार, जो जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन और निर्यात में शामिल थे, ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, जो प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप में दिए गए निर्देशों के अनुरूप हैं।
- फ. यदि उत्तरदाताओं के किसी संबंधित पक्षकार ने चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, तो प्राधिकारी डीजी सिस्टम आंकड़ों से क्रॉस-चेक भी कर सकते हैं। डबलस्टार समूह की सभी संबंधित समूह कंपनियां, जो उत्तरदाताओं की संपूर्ण मूल्य शृंखला का हिस्सा हैं, ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विधिवत सहयोग किया है।
- ब. डबल स्टार हांगकांग केवल विचाराधीन उत्पाद और अन्य उत्पादों का व्यापारी है, अतः उत्पादन लागत से संबंधित सूचना डीएस एचके पर लागू नहीं होती है।
- भ. डीएस एचके ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है और केवल अपनी संबद्ध कंपनी डबल स्टार किंगदाओ द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तथापि, डीएस एचके ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में एक छोटी टंकण त्रुटि की है। जैसा कि प्रश्न उन उत्पादों की सूची के बारे में पूछता है जो या तो निर्यातक द्वारा उत्पादित अथवा बेचे जाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में, डीएस एचके ने एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि की और उसने उल्लेख किया कि उसने ट्रक और बस रेडियल टायर (टीवीआर) और पैसंजर कार रेडियल टायर्स (पीसीआर) का 'उत्पादन और बिक्री' की है, बजाए सामान्य रूप से उल्लेख करते हुए कि ये उत्पाद उसके द्वारा केवल बेचे गए थे।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

27. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. उत्तरदाता निर्यातकों/उत्पादकों के संबंधित पक्षकार वर्तमान जांच में सहयोग करने में विफल रहे हैं। संबद्ध पक्षकारों ने यूरोपीय संघ और अमेरिका में संबद्ध सामानों की जांच में और भारत में संबद्ध सामानों की मूल जांच में भाग लिया है। उनके द्वारा दायर किए गए उत्तरों को खारिज किया जाना चाहिए।

- ख. किंगदाओ डबलस्टार, कुम्हो टायर्स और शेडोंग हेंगयु टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के प्रमुख अधिग्रहणों का प्रकटन करने में विफल रहा, जिसने इसे चीन में सबसे बड़ा टायर विनिर्माता बना दिया।
- ग. जहां तक मूल जांच में भाग न लेने और आयात प्रतिबंधों के कारण जांच की अवधि में निर्यात करने में असमर्थता का संबंध है, उत्तरदाता कंपनी नई शिपर समीक्षा की मांग कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, आयात प्रतिबंध नीति आयातों पर प्रतिबंध नहीं है और विभिन्न अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि हुई है।
- घ. उत्तरदाताओं द्वारा प्रश्नावली के उत्तरों में प्रयुक्त माप की इकाई संख्याओं (पीसीएस) में है जो मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानक अर्थात् वजन (एमटी) का अनुपालन करने में विफल रहती है।
- ङ. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत टायर इपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और पायनियर ट्रेडिंग कोऑपरेशन इस जांच के प्रयोजन के लिए स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में सिद्ध/प्रमाणित करने में विफल रहे।
- च. चीन सीमा शुल्क और डीजीसीआईएसएंडएस द्वारा सूचित किए गए सीमा शुल्क आंकड़ों में मात्रा और मूल्य में काफी अंतर हैं। इस तरह के अंतर से पाटनरोधी शुल्क की प्रवचना की संभावना का पता चलता है।
- छ. चीन सीमा शुल्क आंकड़े वर्तमान जांच में संगत हैं। प्राधिकारी की विभिन्न जांचों का संदर्भ दिया जाता है जहां जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध देश के सीमा शुल्क आंकड़ों पर विश्वास किया गया है।
- ज. समय अंतराल के कारण मात्रा में अंतर के संबंध में, मात्रा में अंतर 87% नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई)" के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच (दिनांक 26 अप्रैल, 2022) पर विश्वास किया जाता है, जिसमें प्राधिकारी ने चीन सीमा शुल्क आंकड़ों पर विचार किया क्योंकि उसने जांच की अवधि कम कीमत पर आयात की उच्च मात्रा को दर्शाया है।
- झ. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी के पास चीन सीमा शुल्क को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है, चीन सीमा शुल्क पर आधारित संभावना के संबंध में विभिन्न निष्कर्षों से यह सिद्ध है कि प्राधिकारी के पास सीमा शुल्क आंकड़ों को सत्यापित करने का साधन है।
- ञ. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा की गई जांच, डीजीटीआर और सीसीआई के अलग-अलग तथा स्वतंत्र क्षेत्राधिकार, काफी भिन्न जांच अवधि के कारण वर्तमान जांच के लिए असंगत है।
- ट. जहां तक सीसीआई के आदेश का संबंध है और यह आरोप कि घरेलू कीमतें बाजार से प्रेरित नहीं हैं, बाजार में विभिन्न व्यापारियों की मौजूदगी मात्र यह सुनिश्चित करती है कि कीमतें बाजार संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, सीसीआई के आदेश में उत्तरदाताओं ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की है।
- ठ. अन्य प्रशुल्क अथवा गैर-प्रशुल्क उपायों जैसे प्रतिकारी शुल्क, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अथवा आईटीसी (एचएस) आयात नीति की मौजूदगी घरेलू उद्योग के पाटन से राहत पाने और उसकी मांग करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करती।
- ड. आयात नीति ने देश में संबद्ध सामानों के प्रवेश को कम नहीं किया है। संबद्ध सामानों के आयातों को निःशुल्क अथवा प्रतिबंधित में वर्गीकृत करना सरकार के पास निहित एक सांविधिक विवेक है।
- ढ. जहां तक टायरों के लिए आयात नीति में संशोधन के बाद संबद्ध सामानों की कीमतों में वृद्धि का संबंध है, कीमतों में वृद्धि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण बिक्री की बढ़ी हुई लागत की वसूली के लिए है। क्रिसिल रिपोर्ट पर विश्वास किया जाता है।
- ण. व्यापार बाधाओं की मौजूदगी के संबंध में, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सरकार द्वारा वाहन और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित एक मानक है। यह 2011 से लागू है और व्यापार बाधा नहीं है। आयात प्रतिबंध नीति के तहत लाइसेंस की आवश्यकता एक नियामक आवश्यकता है और इसकी तुलना गैर-प्रशुल्क बाधा से नहीं की जा सकती है। अनुचित व्यापार परिपाटी का मुकाबला करने के लिए विस्तृत जांच के बाद संबद्ध सामानों पर प्रतिकारी शुल्क लगाये गये थे।
- त. किसी भी प्रयोक्ता/आयातक कंपनी ने जांच में भाग नहीं लिया है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है तथा इसका उपभोक्ताओं और आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

- थ. शुल्क का विस्तार ऊपरी स्तर के कच्चे माल के उत्पादकों के लिए अच्छी मांग सुनिश्चित करेगा, निचले स्तर को आपूर्ति की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और इसे सुनिश्चित करने के लिए काफी निवेश किए गए हैं।
- द. जहां तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का संबंध है, निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि के बाद की सूचना अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने पिछले कई मामलों में जांच की अवधि के बाद की सूचना पर विचार किए बिना घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति की संभावना सिद्ध की है।
- ध. इस व्याख्या के संबंध में कि मानदंड और निरंतरता में 5 वर्षों की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करना एक अपवाद है, एसोसिएशन ऑफ मैनेज्ड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 19 मई, 2022 के मामले में सेसटेट आदेश पर विश्वास किया जाता है। जब तक पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, तब तक 10 वर्ष से अधिक शुल्क बढ़ाने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है।
- न. जहां तक टायर को दिए गए लंबे समय से संरक्षण का संबंध है, संबद्ध सामान की 2008 में मूल जांच की गई है, जिसमें 2011 में सकारात्मक निष्कर्ष को अलग रखा गया था। उत्तरदाताओं द्वारा संदर्भित अन्य जांच गैर-विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हैं। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क अनुचित व्यापार उपायों को रोकने के लिए है न कि घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए। अतः, पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति होने तक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना उचित है।
- प. टायर इंपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किए गए विलंबित अनुरोध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा और घरेलू उद्योग के प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में किए गए थे।
- फ. जहां तक भारतीय उद्योग के हिस्से में वृद्धि का संबंध है, संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में गिरावट पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण है।
- ब. जहां तक पिछले 5 वर्षों में टायर की कीमत में वृद्धि का संबंध है, इस वृद्धि का विश्लेषण उत्पादन लागत के संबंध में किया जाना है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है और निम्नानुसार निर्धारित करते हैं:

- क. जहां तक अत्यधिक संरक्षण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कितनी बार निर्णायक समीक्षा की जा सकती है और कितनी बार पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाता है, इस पर कोई रोक नहीं है। नियमावली में प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं।
- ख. जहां तक प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करके वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यद्यपि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क वर्षों से लागू है, तथापि इससे भारत में प्रयोक्ता उद्योग अथवा उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, भले ही यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने से संबद्ध सामानों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं, यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी शुल्क से प्रभावित नहीं होगी। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने का उद्देश्य घरेलू उद्योग की गिरावट को रोकने के लिए पाटन परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त करना और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करना है।
- ग. जहां तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच अनिवार्य नहीं है। जांच की अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण की आवश्यकता एक विशिष्ट मामले में आवश्यकता के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किये गये संभावना विश्लेषण, यह जाने के लिए पर्याप्त है कि क्या संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- घ. वर्तमान जांच में पंजीकृत टायर इंपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और पायनियर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की भागीदारी के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों पक्षकारों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि पायनियर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन अथवा टायर इंपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (टीआईडब्ल्यूए) से

कोई अनुरोध/प्रश्नावली उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। लिखित और प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने के लिए समय की समाप्ति के बाद टीआईडब्ल्यूए द्वारा किए गए मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी इन अनुरोधों को स्वीकार करते हैं क्योंकि ये अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के समान हैं। इसलिए प्राधिकारी ने उनके अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया है लेकिन अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहले ही उठाए गए समान अनुरोधों का समाधान किया जा चुका है।

- ड. इस तर्क के संबंध में कि जांच परिणाम चीन सीमा शुल्क के आंकड़ों के आधार पर होने चाहिए क्योंकि ये आयातों की काफी अधिक मात्रा को दर्शाते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन सीमा शुल्क के आंकड़े आयातों की अधिक मात्रा दर्शाते हैं, फिर भी इस बात की संभावना है कि सामानों को पुनः निर्यात किया जा सकता था अथवा अन्य देशों को भेजा जा सकता था और भारतीय सीमा शुल्क की मंजूरी नहीं हुई तथा और आंकड़ों में गैर-विचाराधीन उत्पाद आंकड़े भी शामिल हो सकते थे। अतः, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों पर विश्वास किया है और विश्लेषण किया है।
- च. जहां तक गुटबंदी और घरेलू उत्पादकों के बीच संभावित अनुचित प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि इस मुद्दे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अलग से निपटाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का क्षेत्र विचाराधीन उत्पाद के पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच करने के संबंध में है, क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाना आवश्यक है।
- छ. जहां तक संबद्ध सामानों पर पहले से लागू सीवीडी और पाटनरोधी शुल्क के कारण दोहरे सुधार के मुद्दों और लागू गैर-प्रशुल्क उपायों की मौजूदगी का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच एक स्वतंत्र जांच है जिसमें प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के पाटन का जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना की जांच करनी होती है कि क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- ज. जहां तक अपने संबद्ध पक्षकारों की गैर-भागीदारी के कारण क्लिंगदाओ डबलस्टार के उत्तर को अस्वीकार करने संबंधी तर्क का संबंध है, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों से सूचना का सत्यापन किया है और यह पाया है कि क्लिंगदाओ डबलस्टार ने भी जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
- झ. जहां तक आयातों के पहुंच मूल्य के परिकलन के लिए सीमा शुल्क की दर का संबंध है, उसे लागू माना गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. शेडोंग योंगफेंग टायर्स कंपनी लिमिटेड शुल्क की अलग दर के लिए हकदार है। पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए भारत अथवा तीसरे देश के उत्तरदाता की वास्तविक कीमत को लिया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, आयात प्रतिबंध लगाए जाने से पूर्व के वर्ष में शेडोंग द्वारा भारत को निर्यात पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार किया जा सकता है।
- ख. यदि उत्तरदाता के लिए कोई अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम, मूल पाटनरोधी जांच के अनुसरण में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की गैर-नमूना दर को उत्तरदाता के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- ग. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच चीन जन. गण., जिसे प्राधिकारी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, से आयातों के संबंध में है। शेडोंग ने भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः, केवल वे संबद्ध उत्पादक जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल हैं, जिनका उत्पाद भारत को निर्यात किया गया है, को प्रश्नावली का उत्तर दायर करना आवश्यक है।
- घ. चीन जन. गण. में संबद्ध उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है, के प्रश्नावली उत्तर की कोई संगतता नहीं है।
- ड. केवल शेडोंग चांगफेंग टायर्स कं, लिमिटेड शेडोंग योंगफेंग की संबद्ध कंपनी है।

च. आवेदक के इस दावे के संबंध में कि संबद्ध कंपनियों ने यूरोपीय संघ द्वारा की गई पाटनरोधी जांच में उत्तर दायर किया है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध होने का दावा करने वाली कंपनियों को आवेदक द्वारा यूरोपीय संघ द्वारा अपने दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के अंतिम निर्णय में संबद्ध कंपनियों के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

30. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का पालन केवल तभी करेंगे जब उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागत और कीमत की सूचना ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है। यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की सूचना को अपनाया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देंगे।
- ख. जब तक चीन जन. गण. में उत्पादक/निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि उनकी लागत और कीमतें विश्वसनीय हैं, तब तक उनकी घरेलू लागत और कीमतें सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा यह दर्शाने में विफल रहने पर कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं, सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ग. चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, और पाटित आयातों के कारण बिक्री मूल्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, आवेदक उपयुक्त लाभ के साथ भारत में निर्मित लागत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा करता है।
- घ. आवेदक ने सीआईएफ कीमत को लिया है और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन और बैंक प्रभार के लिए इसे समायोजित किया है।
- ङ. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि संबद्ध देश के लिए काफी भी है।
- च. जहां तक उत्तरदाता को शुल्क की अलग-अलग दर का हकदार होने का संबंध है, नियम और प्रचालन परिपाटियों की नियमावली और सिद्ध परिपाटी यह दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाता है। जिस निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है, वे अलग शुल्क दरों के लिए पात्र नहीं हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप-नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

32. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावलियों का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है:

- i. किंगदाओं डबलस्टार टायर इंडस्ट्रीज कं., लिमि. ("डी एस किंगदाओ")
- ii. डबलस्टार इंटरनेशनल ट्रेडिंग (हॉग कॉग) कं., लिमि. ("डीएस एचके")
- iii. शानडॉंग योंगफेंग टायर्स कं., लिमि.

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

33. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी -का अनुच्छेद 1994VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार,) 1994 "पाटनरोधी करार"-के अनुच्छेद (VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए लागू नहीं होंगे।"

34. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत

प्रावधान में इस नियमावली के अनुबंध । के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी गई सूचना/ आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के उत्तर देने वाले उत्पादक/ निर्यातक ने निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, सामान्य मूल्य का परिकलन इस नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

35. संबद्ध देश के सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है।

छ. 4. सामान्य मूल्य का निर्धारण

36. इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 को निम्नानुसार पढ़ा जाये:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इस उत्पाद की कीमतों अथवा संरचित मूल्य को न तो आवेदक द्वारा अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है और न ही वह किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जिसे प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकता था। प्राधिकारी ने भारत में उचित लाभ के साथ संरचित लागत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण पर विश्वास किया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ. 5. निर्यात कीमत का निर्धारण

किंगदाओं डबलस्टार टायर इंडस्ट्रीज कं., लिमि. ("डी एस किंगदाओ") (उत्पादक/ निर्यातक) और डबलस्टार इंटरनेशनल ट्रेडिंग (हॉग कॉंग) कं., लिमि. ("डीएस एचके") (निर्यातक)

38. किंगदाओं डबलस्टार टायर इंडस्ट्रीज कं., लिमि. ने दावा किया है कि यह चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने भारत को सीधे तौर पर तथा अपने संबंधित व्यापारी डबलस्टार इंटरनेशनल ट्रेडिंग (हॉग कॉंग) कं., लिमि. के माध्यम से निर्यात किया है। किंगदाओं डबलस्टार टायर इंडस्ट्रीज कं., लिमि. और डबलस्टार इंटरनेशनल ट्रेडिंग (हॉग कॉंग) कं., लिमि. दोनों ने निर्यातक की प्रश्नावली प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने नोट किया कि प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी प्रणाली आंकड़े जांच की अवधि में किंगदाओं डबलस्टार से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं दर्शाया। किंगदाओ डबलस्टार से यह कहा गया था कि वे इस विसंगति को स्पष्ट करें तथा उसके बारे में बतायें। इस उत्तर में, किंगदाओ डबलस्टार ने लेडिंग के बीजकों/ पैकिंग सूची/ बिलों आदि को प्रस्तुत किया। इन दस्तावेजों से, प्राधिकारी ने नोट किया कि किंगदाओं डबलस्टार ने जांच की अवधि के दौरान 'ऑफ रोड माइनिंग टायरों' (एचएस कोड 40118000) और न कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था। इस कारण से प्राधिकारी ने किंगदाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रीज कं., लिमि. के उत्तर को अस्वीकार किया है।

शानडॉंग योंगफेंग टायर्स कं., लिमि.

39. शानडॉंग योंगफेंग टायर्स कं., लिमि. ("योंगफेंग") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। योंगफेंग ने निर्धारित निर्यातक की प्रश्नावली प्रपत्र में संगत सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि योंगफेंग ने दावा किया है कि इसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया है बल्कि जांच की अवधि के पहले भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। योंगफेंग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि यह कंपनी दिनांक 12 जून, 2020 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. 12/2015 – 2020 द्वारा आयात नीति में संशोधन जिसमें संबद्ध वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत लाया गया था, के कारण जांच की अवधि के दौरान (1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितंबर, 2021)

भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने में सक्षम नहीं था। योंगफेंग ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं को प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत लाये जाने के बाद, किसी भी भारतीय ग्राहक ने संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इसको ऑर्डर नहीं दिया है।

40. प्राधिकारी ने योंगफेंग के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान उसके द्वारा भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं है। योंगफेंग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि चूंकि उन्होंने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में पूरी तरह से भाग लिया है अतः मूल जांच के दौरान गैर नमूनाकृत उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटनरोधी शुल्क वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने के लिए प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए जाने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में योंगफेंग के लिए लागू होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि यद्यपि, योंगफेंग ने निर्णायक समीक्षा जांच में भाग लिया है, तथापि उसने जांच की अवधि में भारत को कोई निर्यात नहीं किए हैं और इसीलिए उसे मूल जांच का गैर नमूनाकृत शुल्क प्रदान किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्राधिकारी ने योंगफेंग के अनुरोध को रद्द करने का निर्णय लिया है।

चीन जन. गण. के असहयोगी निर्यातक

41. चीन जन. गण. के अन्य निर्यातकों के संबद्ध में निर्यात कीमत का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारण किया गया है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी प्रणाली आंकड़ों में यथासूचित आयातों पर विचार किया है।

छ. 4. पाटन मार्जिन का निर्धारण

42. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	सी एन वी (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	एन ई पी (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन. गण. के सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	****%	30-40

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

43. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. वास्तविक क्षति की जांच क्षति की संभावना का विश्लेषण करने के लिए आरंभिक बिंदु है। क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री, मालसूची, बाजार हिस्सा आदि में सुधार हुआ है।
- ख. अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि जो कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित हुई थी को बाहर रखना।
- ग. आर्थिक मांगदण्ड अर्थात घरेलू उद्योग की कुल संस्थापित क्षमता, क्षमता का उपयोग, कुल उत्पादन और लाभप्रदता बहुत अधिक सुधार को दर्शाती है।
- घ. आयातों के कारण कोई मात्रा अथवा कीमत में क्षति नहीं हुई है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों में 2018-19 में क्षति की अवधि के आरंभ से 11,844 एमटी से जांच की अवधि में 305 एमटी की मामूली गिरावट आई।
- ङ. कीमत में कटौती आयातों के नगण्य स्तर पर असंगत है।
- च. भारतीय मांग में नाटकीय/ अधिक वृद्धि नहीं देखी है।
- छ. क्षति, यदि कोई हो, थाइलैण्ड से आयातों के कारण हुई है।
- ज. थाइलैण्ड से आयात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों की तुलना में बहुत है। वास्तव में, थाइलैण्ड से आयात वर्ष 2020-21 को छोड़कर क्षति की जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों

की तुलना में अधिक है। हालांकि, थाइलैण्ड से आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू नहीं है।

- झ. यह भी नोट किया जाये कि थाइलैण्ड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू मूल सीमा शुल्क केवल 5 प्रतिशत है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने स्वयं अपनी याचिका में दावा किया है कि चीन के अनेक उत्पादकों ने अपने निर्माण आधार को थाइलैण्ड में स्थानांतरित किया है। यदि संभावना के आकलन के लिए इस पहलू को संगत माना जाता है तब यह शॉनडोंग के इस दावे का समर्थन करेगा कि चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है क्योंकि चीन जन. गण. से क्षमता थाइलैण्ड की ओर परिवर्तित हुई है और भारत को निर्यातों में वृद्धि थाइलैण्ड से नहीं होगी।
- ट. संबद्ध वस्तुओं के लिए कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के वास्ते मौजूद गैर टैरिफ शुल्क को समाप्त कर लिया गया है और इससे घरेलू उद्योग को लाभ प्राप्त हुआ है जैसा कि लाभप्रदता में वृद्धि से देखा जा सकता है।
- ठ. यह आसानी से दर्शाया जा सकता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों के कारण न तो किसी वर्तमान अथवा आसन्न वास्तविक क्षति का सामना कर रहा है। विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादकों का कुल भारतीय मांग में 90 प्रतिशत हिस्सा है जो व्यावहारिक रूप से या तो संबद्ध देश से अथवा अन्य देशों से आयातों के लिए कोई बाजार हिस्सा नहीं छोड़ता है।
- ड. इन आयातों का पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी दोनों शुल्कों के मौजूद रहने के कारण बहुत अधिक हद तक घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है। चूंकि संबद्ध आयात बहुत कम है और यह तथ्य कि संबद्ध वस्तु पहले से ही टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों (आयात नीति) जो भारत में इन वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करता है से नुकसान उठा रहा है, घरेलू उद्योग को अपने भावी विकास करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पहले से ही पर्याप्त संरक्षण दिया जा रहा है।
- ढ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का विश्लेषण करते समय, कोविड-19 के प्रभाव को अलग किया ही जाना चाहिए और इस प्रकार के विश्लेषण के बाद, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबंधी मापदंड तीव्र सुधार दर्शायेगा। घरेलू उद्योग क्षति की पूरी अवधि के दौरान लाभप्रद रहा है और इसने जांच की अवधि के दौरान सभी वित्तीय मापदंडों में सुधार देखा है।
- ण. यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि के दौरान निरंतर रूप से पूंजी व्यय किया जा रहा था जो क्षति की अवधि के दौरान व्याज/ वित्त लागत और ह्रास एवं ऋणशोधन खर्च में वृद्धि का कारण स्पष्ट करता है। इसने घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदता को प्रभावित किया है।

ज. 2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

44. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. इन आयातों का पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में किया जाना जारी रहा है।
- ख. इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है और कम कीमत पर बिक्री नहीं की जा रही है।
- ग. इन आयातों ने घरेलू कीमतों पर दबाव बनये रखा है रख रहा है।
- घ. थाइलैण्ड से पाटित आयातों की संबंध में, प्राधिकारी ने पूर्व में शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर लिया गया था। उसके संबंध में एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित है।
- ड. पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के कारण संबद्ध आयातों के द्वारा कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी है। हालांकि, पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने और पाटन के जारी रहने की संभावना है।

ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

45. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध से जुड़े मुद्दों के संबंध में किये गये अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण इसके नीचे वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर विचार करता है।

46. इस नियमावली के अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।
47. इस नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन यह दर्शाता हो कि इसे क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान क्षति नहीं उठानी पड़ी है, प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किये जाने की फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने की संभावना है।
48. चीन के सीमा शुल्क और डीजी प्रणाली के अनुसार आयात आंकड़ों में विसंगति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आंकड़ों के स्रोत पर निर्भर करते हुए संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और मूल्य में बहुत अधिक अंतर है। हालांकि, प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से डीजी प्रणाली आंकड़ों पर विश्वास किया है क्योंकि इस बात की संभावना है कि इन वस्तुओं का फिर से निर्यात और पुनः लदान अन्य देशों को किया गया है और इसने भारतीय सीमा शुल्क से मंजूरी नहीं ली थी और इसमें एन पी यू सी के आंकड़े भी शामिल हो सकते हैं। इस कारण से प्राधिकारी ने डीजी प्रणाली आंकड़ों का विश्लेषण किया है और उस पर विश्वास किया है।
49. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने की कार्यवाही करने के पूर्व संबद्ध देश से आयातों के कारण क्षति के विभिन्न मापदंडों की जांच की है। इसकी जांच की गई है कि क्या पूर्णरूप में अथवा उत्पादन या खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, इस तथ्य की जांच की जानी आवश्यक मानी गई है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतों पर अन्यथा बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, परिमाण और पाटन के मार्जिन आदि पर इस नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। इस प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण इसमें आगे वास्तव में इन पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर विचार करता है।

ज. 3. 1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

क. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

50. प्राधिकारी ने भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर घरेलू उद्योग तथा अन्य सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में, डीजी प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देश से आयात और अन्य सभी देशों से आयातों पर वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचार किया है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	4,14,033	3,44,994	3,75,142	4,28,959
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	91	104
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	1,19,955	1,26,100	1,19,179	1,35,492
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	99	113
संबद्ध आयात	मी. ट.	11,844	13,267	2,249	305
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	19	3
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	24,074	13,185	7,725	5,145
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	32	21

कुल मांग	मी. ट.	5,69,907	4,97,547	5,04,295	5,69,901
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	88	100

51. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग आधार वर्ष से तुलना किये जाने पर जांच की अवधि में लगभग वही है लेकिन पूर्व वर्ष से तुलना किये जाने पर उसमें वृद्धि हुई।

ख. संबद्ध देश से आयात की मात्रा

52. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि इस तथ्य पर विचार करें कि क्या या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी प्रणाली आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देश से आयातों की मात्रा पर विश्वास किया है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
संबद्ध देश – चीन जन. गण.	मी. ट.	11,844	13,267	2,249	305
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	19	3
अन्य	मी. ट.	24,074	13,185	7,725	5,145
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	32	21
कुल आयात	मी. ट.	35,918	26,452	9,974	5,450
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	28	15
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	33	50	23	6
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	152	68	17
भारतीय उत्पादन	%	2	2	0.39	0.04
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	21	2
भारतीय मांग	%	2	3	0.45	0.05
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	21	3

53. यह देखा गया है कि:

- क. संबद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष तथा पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध देश से आयात ने भी भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में अपने हिस्से में वृद्धि दर्शायी है। कुल आयातों में संबद्ध आयात के हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ग. संबद्ध आयातों में आधार वर्ष और पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में भारत में मांग की तुलना में कमी आई है। भारत में उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयातों में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।

ज. 3.2. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

54. कीमतों पर पाटित आयातों पर प्रभाव के संबंध में इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के कारण कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुकने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू

उद्योग के उत्पादन की लागत, क्षति रहित कीमत (एन आई पी) और निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) की तुलना डीजी प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

55. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से पहुंच कीमत से की गई है। पहुंच मूल्य की गणना संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू उपयुक्त सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों को जोड़ने के बाद की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती संबंधी प्रभाव निम्नानुसार हैं:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	104	105
पाटन शुल्क के बिना पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	1,62,783	1,45,058	1,46,964	1,71,930
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	90	106
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	153	102
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	20-30	40-50	40-50	20-30

56. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कीमत में कटौती हुई है।

ख. कीमत ह्रास एवं न्यूनीकरण

57. इस तथ्य का निश्चरण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा वे कम हो रही हैं तथा इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	100	102
बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	104	105
पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	1,62,783	1,45,058	1,46,964	1,71,930
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	90	106

58. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है।

ज. 3.3 घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदंड

59. इस नियमावली अनुबंध 11 में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जो उद्योग की स्थिति जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल

अथवा क्षमता का उपयोग शामिल है; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन के मार्जिन का आकार; नकदी के प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों की चर्चा नीचे की गई है।

60. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में किये गये तर्कों और विभिन्न तथ्यों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करने के बाद क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग एवं बिक्री

61. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
क्षमता	मी. ट.	5,47,202	6,08,158	6,44,173	6,80,491
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	118	124
उत्पाद	मी. ट.	4,69,106	4,00,886	4,16,220	5,13,164
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	89	109
क्षमता का उपयोग	%	86	66	65	75
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	75	88
घरेलू बिक्री	मी. ट.	4,14,033	3,44,994	3,75,142	4,28,959
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	91	104

62. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान अपनी संस्थापित क्षमता में वृद्धि की है। उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। लेकिन क्षमता के उपयोग में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

63. घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से, संबद्ध देश और अन्य देशों से आयात नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	102	104
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	112	113
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	21	3
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	36	21
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

64. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, संबद्ध आयातों के हिस्से में आधार वर्ष से *** प्रतिशत से जांच की अवधि में *** प्रतिशत तक गिरावट आई है।

iii. मालसूची

65. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
प्रारंभिक	मी. ट.	***	***	***	***
अंतिम	मी. ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	98	105

66. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में 2019-20 में वृद्धि हुई है, 2020-21 में गिरावट आई है और जांच की अवधि में उसमें पुनः वृद्धि हुई है।

iv. लाभप्रदता, नकद लाभ एवं लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

67. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज एवं कर के पूर्व लाभ और निवेश पर प्रतिफल नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
प्रति इकाई लाभ	रु. /मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	162	147
कुल लाभ/ (हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	147	152
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	132	137
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	150	152
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	रेंज	100	75	131	138

68. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और कर एवं ब्याज पूर्व लाभ में 2019-20 में गिरावट आई लेकिन उसके बाद उसमें सुधार हुआ।

v. रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

69. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	108	111
प्रति दिन उत्पादकता	मी. ट./ दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	89	109

70. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार में पूर्व तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

vi. वृद्धि

71. प्रमुख आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
उत्पाद	वर्ष दर वर्ष	(15)	4	23
घरेलू बिक्री	वर्ष दर वर्ष	(17)	9	14
क्षमता का उपयोग	वर्ष दर वर्ष	(23)	(2)	17
लाभ/ हानि	वर्ष दर वर्ष	(48)	181	4
नकद लाभ	वर्ष दर वर्ष	(26)	78	4
पी बी आई टी	वर्ष दर वर्ष	(37)	138	1
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	वर्ष दर वर्ष	(25)	74	6

72. विभिन्न मापदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता का उपयोग, लाभ, नकद लाभ, कर एवं ब्याज पूर्व लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि में सकारात्मक है।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

73. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान वास्तविक क्षति का दावा नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान एक स्पष्ट वित्तीय कार्यनिष्पादन दर्शाया है।

viii. क्षति मार्जिन का परिमाण

74. प्राधिकारी ने अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की गैर क्षतिकारक कीमत का निर्धारण क्षति की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्पादन की लागत से संबंध सूचना/ आंकड़ों को लेकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबंध देश से पहुंच कीमत पर की तुलना करने के लिए गैर क्षतिकारक कीमत पर विचार किया गया है। गैर क्षतिकारक कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्रियों की सर्वोत्तम उपयोगिताओं पर विचार किया गया है। यही वर्तव उपयोगिताओं के साथ भी किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय नहीं लिए गए थे। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (पूर्व कर 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति पूर्व-कर लाभ के रूप में प्रदान की गई थी ताकि इस नियमावली के अनुबंध III में यथानिर्धारित और पालन की जा रही गैर क्षतिकारक कीमत निकाली जा सके। इस प्रकार से निर्धारित गैर क्षतिकारक कीमत पर विचार क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए किया गया है।
75. चूंकि किंगदाओं डबलस्टार टायर इंडस्ट्रीज कं., लिमि. का उत्तर स्वीकार नहीं किया गया है और शानडॉंग योंगफेंग टायर्स कं., लिमि. ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, अतः सभी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण डीजी प्रणाली आंकड़ों के आधार पर किया गया है।
76. ऊपर में निर्धारित किये गये अनुसार पहुंच कीमत और गैर क्षतिकारक कीमत के आधार पर, चीन जन. गण. के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन की गणना प्राधिकारी द्वारा की गई है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	उत्पादक	गैर क्षतिकारक कीमत (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	पहुंच मूल्य (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	यू एस डॉलर/ मी. ट.	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1.	सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***%	20-30

झ. कारणात्मक संबंध और गैर आरोपण विश्लेषण

77. प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच की जो साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा होगा ताकि इन अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

78. यह देखा गया है कि अन्य देशों से आयात या तो न्यूनतम अथवा उच्चतर कीमतों पर हुए हैं।

ख) मांग में संकुचन

79. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में आधार वर्ष और पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

80. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई ठोस परिवर्तन के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच ने प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियों में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया।

ङ) प्रौद्योगिकी का विकास

82. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तनों के होने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

83. प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

छ) अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

84. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं और उसे प्राधिकारी द्वारा क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से अपनाया गया है। आवेदक द्वारा उत्पादन किये गये और बेचे गये अन्य उत्पादों के प्रदर्शन पर विचार नहीं किया गया है।

85. आवेदक ने आयातों के संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने / फिर से होने की संभावना

86. समीक्षा जांच में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का निर्धारण करें कि क्या संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में लगातार आ रही हैं अथवा उनके आने की संभावना है और यह कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के शुल्क को समाप्त होने देने की स्थिति में इन पाटित आयातों के कारण संभवतः जारी रहने वाला है अथवा फिर से उत्पन्न होने वाला है।

ज. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

87. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों की मौजूदगी पाटन से इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। याचिकाकर्ता ने यह नहीं दर्शाया है कि मौजूदा सी वी डी अपर्याप्त होगी।
- ख. यह उत्पाद प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है और आयातों में बहुत तेजी से कमी आई है।
- ग. प्रतिवादी द्वारा क्षमता का कोई विस्तार नहीं किया गया है। चीन जन. गण. में कोई आधिक्य क्षमता नहीं है। तथापि, उपयोग न की गई क्षमता की मौजूदगी मात्र का आशय यह नहीं है कि इसका उपयोग भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए किया जायेगा।
- घ. जांच की अवधि के दौरान प्रतिवादियों द्वारा की गई संबद्ध वस्तुओं की कुल बिक्री में से, लगभग 70 प्रतिशत बिक्री घरेलू बाजार में की जाती हैं। इस कारण से ध्यान चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की मांग को पूरा करने पर अधिक है। इसके अलावा, लगभग 29 प्रतिशत शेष बिक्रियां तीसरे देशों को की जाती हैं।
- ङ. टायरों के लिए मांग का फिर से होना यह संसूचित करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है। अपोलो और जे के टायर इंडस्ट्रीज लिमि. की वार्षिक रिपोर्टों पर विश्वास किया गया है।
- च. संबद्ध आयातों में बहुत अधिक कमी हुई है।
- छ. चीन जन. गण. में टी बी आर की मांग का उपयोग प्रतिस्थापन बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- ज. भारतीय मांग ने नाटकीय / बहुत अधिक वृद्धि नहीं देखी है।
- झ. भारत के आकर्षक बाजार नहीं है और इसने प्रतिवादियों के निर्यात का केवल 0.10 प्रतिशत प्राप्त किया है।
- ञ. प्रतिवादियों के पास मालसूची नहीं है और इसकी अधिकांशतः बिक्री घरेलू और तीसरे देश के बाजार में की जाती है।
- ट. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग निर्यात की ओर उन्मुख है और निर्यात बाजारों में बहुत अधिक लाभप्रद रूप से अपने व्यापार को बढ़ाता रहा है।
- ठ. घरेलू उद्योग को अपेक्षाकृत कम कीमत पर कच्चे माल/ इनपुट और मशीनरी की उपलब्धता के कारण लाभ प्राप्त हो रहा है।
- ड. सभी संबंधित पक्षकारों के बारे में संगत सूचना प्राधिकारी को प्रतिवादियों द्वारा संलग्न किये गये प्रश्नावली के उत्तर और वित्तीय रिपोर्ट के भाग के रूप में विधिवत उपलब्ध कराया गया है। डबलस्टार ग्रुप की संगत ग्रुप कंपनियां जो प्रतिवादियों के समग्र मूल्य चैन का हिस्सा है वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विधिवत रूप से सहयोग किया है।
- ढ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) के पास केवल दो कंपनियां पंजीकृत हैं जिनका कीवर्ड 'कुम्हो' उनके नाम में है। इन दो कंपनियों का नाम कुम्हो इंडिया टायर्स लिमि. और कुम्हो इलेक्ट्रिक पॉवर इंडिया प्रा. लिमि. है।
- ण. इन कंपनियों का जांच की अवधि अथवा क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद अथवा किसी अन्य उत्पाद के भारतीय बाजार में कोई उपस्थिति नहीं थी।
- त. आयात नीति में परिवर्तन के कारण, भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात अब केवल तभी संभव है जब डी जी एफ टी भारतीय आयातक को लाइसेंस/ अधिकरण देता हो। डी जी एफ टी भारतीय आयातकों को लाइसेंस नहीं देता रहा है जिसके फलस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के आयातों में बहुत अधिक तेजी से गिरावट आई है।
- थ. संबद्ध वस्तुओं के लिए बाजार दो क्षेत्रों में बंटे हुए हैं – पहला, नये वाहनों के लिए जहां ऑटोमोबाइल निर्माता/ ओ ई एम ग्राहक हैं। दूसरा, प्रतिस्थापन बाजार जहां वाहनों का उपयोगकर्ता ग्राहक हैं। यह स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन बाजार टायर उद्योग विशिष्ट रूप से वाणिज्य वाहन क्षेत्रों जैसे बस और ट्रक्स में बहुत बड़ी मांग को वृद्धि करने वाला है।

- द. इसके अलावा, बस/ ट्रक्स में रेडियल टायर का समय समय पर बदले जाने की आवश्यकता के कारण बहुत अधिक बाद के बाजार में मांग है। याचिकाकर्ता द्वारा किये गये दावे के अनुसार, बस और ट्रक्स के चीन जन. गण. में टायरों की कुल मांग संबद्ध वस्तुओं अथवा रेडियल टायरों का होगा। इस कारण से चीन के उत्पादकों द्वारा कम उपयोग की गई किसी क्षमता अथवा क्षमता विस्तार का प्रमुख रूप से संबद्ध वस्तुओं की उनके घरेलू बाजार में बढ़ते हुए मांग को पूरा करने के लिए किया जायेगा।
- ध. याचिकाकर्ता ने 2012 की न्यूज रिपोर्ट उपलब्ध कराई है जो रेडियल टायरों की घरेलू मांग में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाता है। यह न्यूज रिपोर्ट 10 वर्षों से अधिक पुरानी है। इसके अलावा, यह रिपोर्ट अपने आप में मीडियम और हेवी वाणिज्यिक वाहनों (एम एच सी वी) जो विचाराधीन उत्पाद को प्राथमिक रूप से शामिल करता है, का वित्तीय वर्ष 2020 में रेडियलाइजेशन में प्लेटो का पूर्वानुमान लगाता है।

ब. 2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

88. घरेलू उद्योग द्वारा संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. मूल जांच और बाद के जांचों में पाटन मार्जिन बहुत अधिक रहा है। संबद्ध वस्तुओं को पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद पाटित किया जा रहा है। अतः पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, पाटन और परिणामी क्षति जारी रहेगी।
- ख. संबद्ध देश के उत्पादकों/ निर्यातकों का भारत में पाटन करने का इतिहास है। उन्होंने पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं को पाटित करना जारी रखा है।
- ग. इन उत्पादकों/ निर्यातकों का विश्व में संबद्ध वस्तुओं को पाटित करने का इतिहास है और यह 22 वर्षों से अधिक से जांच के अधीन रहा है।
- घ. यू एस और यूरोपीय यूनियन जैसे संभावित बाजारों ने संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी दोनों शुल्क लगाये हैं जिसके कारण संबद्ध देश के बाजार में बहुत अधिक हद तक कम हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप उपलब्ध क्षमता को मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर भारतीय बाजार की ओर परिवर्तित किया जा सकता है।
- ङ. चीन के उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को किये गये निर्यात 100 प्रतिशत पाटित और क्षतिकारक मात्रा में हुए हैं।
- च. इन उत्पादकों ने क्षति की अवधि के दौरान क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि की है। संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुमानित वृद्धि यह संसूचित किया कि यह भारतीय मांग को कई गुणा बार पूरा कर सकता है।
- छ. कुम्हो टायर्स और शॉनडॉंग हेंग्यू टेक्नोलॉजी कं., लिमि. के अधिग्रहण और इसकी सहायक कंपनी डबलस्टार डॉंगफेंग टायर के पुनरुद्धार के कारण, डबलस्टार ने संबद्ध वस्तुओं के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया है।
- ज. संबद्ध देश ये उत्पादक बहुत अधिक हद तक निर्यात उन्मुख हैं। प्रतिवादियों द्वारा उनके उत्तर के अनुसार अन्य देशों को की जा रही बढ़ती हुई बिक्री कंपनी के निर्यात उन्मुखीकरण को संसूचित करता है।
- झ. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास विश्व में अलग अलग देशों में सहायक कंपनियों और निर्माण सुविधाओं के अधिग्रहण और स्थापना के कारण सीमित बाजार है।
- ञ. भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए रेडियल टायरों अर्थात रेडियलाइजेशन की ओर परंपरागत बायस टायरों की ओर परिवर्तन के कारण बढ़ी हुई मांग है।
- ट. भारतीय बाजार कीमत संवेदनशील है और आयात चयनित रूप से भारत को कम कीमत पर होते हैं।
- ठ. भारत संबद्ध देश से निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार है जिसे पाटन के लंबे इतिहास से देखा जा सकता है। डबलस्टार ग्रुप ने पाटनरोधी शुल्क, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और आयात प्रतिबंध नीति के मौजूद रहने के कारण भारत को निर्यात करना जारी रखा।
- ड. इस तर्क के संबंध में कि प्रतिवादी मालसूची नहीं रखते हैं, प्रतिवादी के वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किये गये तैयार उत्पाद के लिए मालसूची निरंतर रूप से बढ़ती रही है।
- ढ. इस तर्क के संबंध में की भारतीय बाजार प्रतिवादी के लिए आकर्षक नहीं है, विश्व में संभावित बाजार का बंद होना और भारतीय बाजार में मांग में बढ़ती हुई प्रवृत्तियां यह दर्शाती है कि भारत चीन के निर्माताओं के लिए एक आकर्षक बाजार है।

- ण. जहां तक क्षति की अवधि के दौरान क्षमता के विस्तार का संबंध है, प्रतिवादी चीन जन. गण. में सबसे बड़ा टायर निर्माता और इस समय सबसे बड़े टायर निर्माताओं में से एक टायर निर्माता है।
- त. जहां तक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के मौजूद होने का प्रश्न है, समकालीन जांच और शुल्कों को लगाये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान मामले में, जांच की अवधि दोनों मामलों के लिए अलग अलग हैं। इसके अलावा, संबंध देशों से संबंध वस्तुओं को यूरोपीय यूनियन और यू एस में दोहरे शुल्कों के अधीन रखा जा रहा है।

ब. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी के समक्ष लाये गये सभी कारकों की जांच इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुसार विभिन्न सूचना पर विचार किया है ताकि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का मूल्यांकन किया जा सके।

i. सतत् और मौजूदा पाटन और मार्जिन

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की वर्तमान अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद पाटित कीमतों पर हुए हैं। यह भी देखा गया है कि संबंध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और उन पर दबाव पड़ रहा है।

ii. संबंध देश में आधिक्य क्षमताएं

91. उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावलियों के उत्तर का विश्लेषण निम्नलिखित को दर्शाता है:

	किंगदाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रीयल कं., लिमि.	शानडॉंग योंगफेंग टायर्स कं., लिमि.
संस्थापित क्षमता (पी सी एस)	***	***
कुल उत्पादन (पी सी एस)[पी यू सी + एन पी यू सी]	***	***
क्षमता का उपयोग %	***%	***%
उत्पादन (पी सी एस)(पी यू सी)	***	***
घरेलू बिक्री (पी सी एस)	***	***
अन्य देशों को निर्यात (पी सी एस)	***	***

स्रोत : निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर

92. घरेलू उद्योग द्वारा संबंध देश के संबंध में उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सूचना संबंध देश में निर्माताओं द्वारा किये गये बहुत अधिक क्षमता वृद्धि और विस्तार दर्शाता है।
93. रिकार्ड पर सूचना के अनुसार संबंध देश के संबंध वस्तुओं के उत्पादकों के पास
- क. भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक क्षमताएं हैं।
- ख. बहुत अधिक उपयोग न की गई क्षमताएं हैं जिनका उपयोग संभवतः मौजूदा शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भारत को संबंध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए किया जाना है।

iii. तीसरे देश से पाटन

94. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि क्रमशः 2018 और 2019 से यूरोपीय यूनियन और यू एस में चीन जन. गण. से संबंध आयातों पर व्यापार उपचारात्मक शुल्क लागू हैं। यह देखा जायेगा कि संबंध देश में निर्यातक तीसरे देशों में भी इस उत्पाद का पाटन कर रहे हैं। इसके अलावा, संबंध वस्तुओं के चीन के निर्माताओं का विस्तार और विदेशी सहायक कंपनियों की

स्थापना और विदेशों में निर्माण सुविधाओं ने संबद्ध देश में इन निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तुओं के वास्ते बाजार को कम किया है। मौजूदा शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भारत चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा व्यापार विपथन का एक लक्ष्य बनेगा।

iv. भारतीय बाजार की आकर्षकता

95. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप बहुत अधिक पाटन होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
96. नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से तीसरे देशों को घरेलू उद्योग द्वारा दावा किये गये पाटित, आकर्षक और क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात की मात्रा को दर्शाता है।

चीन से तीसरे देश

विवरण	यू ओ एम	अक्टू. 20 –सितं. 21	तीसरे देश को समग्र निर्यात के संबंध में रेंज	रेंज
सी एन वी के आधार पर पाटित निर्यात	मी. ट.	36,28,470	98.28%	90-100
क्षतिकारक मात्रा	मी. ट.	33,89,762	91.81%	90-100
कीमत आकर्षक मात्रा	मी. ट.	36,01,843	97.56%	90-100
समग्र तीसरे देश	मी. ट.	36,92,097		

स्रोत : ट्रेड मेप डेटा

भारतीय मांग से तुलना	यू ओ एम	अक्टू. 20 –सितं. 21	भारतीय मांग की तुलना में तीसरे देश को समग्र निर्यात के संबंध में रेंज	रेंज
भारतीय मांग	मी. ट.	5,69,901		
सी एन वी के आधार पर पाटित निर्यात	मी. ट.	36,28,470	637%	630-640
क्षतिकारक मात्रा	मी. ट.	33,89,762	595%	590-600
कीमत आकर्षक मात्रा	मी. ट.	36,01,843	632%	630-640
घरेलू उद्योग की लागत पर कम कीमत पर मात्रा	मी. ट.	32,43,739	569%	560-570

97. यह नोट किया जाता है कि रेडियलाइजेशन के अलावा, प्रतिस्थापन बाजार भी संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। आवेदक के अनुसार, भारतीय बाजार को अभी अधिकतम रेडियलाइजेशन प्राप्त करना है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय बाजार रेडियलाइजेशन और प्रतिस्थापन दोनों क्षेत्रों में संभावित मांग उपलब्ध कराता है।

ट. प्रकटन पश्चात विवरण

ट.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

98. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं :-

- प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के बाद प्राधिकारी ने इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया कि क्या क्विंगडाओ डबल स्टार टायर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातित सामान विचाराधीन उत्पाद बनने के योग्य थे। तथापि, प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने माना है कि उत्तरदाओं द्वारा निर्यातित सामान विचाराधीन उत्पाद बनने के लिए पात्र नहीं है। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने माना है कि “ऑफ-रोड माइनिंग टायर्स”, जो जांच की अवधि के

- दौरान उत्तरदाओं द्वारा निर्यात किए गए थे, विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं बनते और इसीलिए, वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर हैं। प्राधिकारी को "ऑफरोडमाइनिंग टायर्स" को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से स्पष्ट रूप से बाहर करना चाहिए।
- ii. यदि क्विंगडाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड के लिए कोई अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता तो फिर मूल पाटनरोधी जांच के अनुसरण में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की गैर-नमूनाकृत दर उत्तरदाओं को भी दी जाए।
 - iii. आवेदक को आयातों के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है और उनके स्थिर आर्थिक मानदंड हैं। विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादकों का संबद्ध देश अथवा अन्य देशों से आयातों के लिए कोई बाजार हिस्सा न होना व्यावहारिक रूप से छोड़ते हुए कुल भारतीय मांग में 99 प्रतिशत हिस्सा है। आयातों की छोटी सी मात्रा आवेदक की कीमतों को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक छोटी सी मात्रा है।
 - iv. प्रकटन विवरण में अत्यधिक गोपनीयता से उत्तरदाताओं की प्रकटन विवरण में निकाले गए निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए प्राधिकारी द्वारा विश्वास किए गए साक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता में बाधा आई है। अतः प्राधिकारी को इन अनिवार्य वित्तीय मानदंडों को प्रकट करते हुए संशोधित प्रकटन विवरण जारी करना चाहिए।
 - v. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार बार होने की कोई संभावना नहीं है। अब सीवीडी और टायरों के आयातों पर गैर प्रशुल्क उपाय के साथ 5 वर्षों के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क के चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों ने भारत में अपना पूरा बाजार हिस्सा खो दिया है। अतः यहां तक कि यदि अतिरिक्त क्षमताएं हैं तो भारतीय बाजार उत्तरदाओं के लिए आकर्षक बाजार नहीं है। इसके अतिरिक्त जांच की अवधि के दौरान भारत को उत्तरदाओं द्वारा छोटे निर्यातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती।
 - vi. क्षति की अवधि के दौरान क्विंगडाओ डबलस्टार द्वारा कोई क्षमता विस्तार नहीं किया गया है।
 - vii. आवेदक द्वारा लगाए गए व्यापार परिवर्तन और अन्य आरोप किसी पाटनरोधी जांच के क्षेत्राधिकार और परिधि में नहीं आते और विशेष रूप से पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा में नहीं आते।
 - viii. जांच की अवधि के दौरान क्विंगडाओ डबलस्टार की तीसरे देश को निर्यात विक्री में कोई गिरावट नहीं आई है। अतः यदि पाटनरोधी शुल्क बंद किया जाता है तो भी उनके विचाराधीन उत्पाद के निर्यात भारत की ओर भेजने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
 - ix. शेनडोंग योंगफोग टायर्स कं. लिमिटेड ने आवश्यक सूचना प्रदान की है और जांच में बाधा नहीं डाली है। शेनडोंग विगत में भी सहयोगी उत्पादक और निर्यातक रहा है और भारत को निर्यात न होना आयात प्रतिबंधों के कारण अस्वैच्छिक है।
 - x. क्विंगडाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रियल कं. लि. ("डबलस्टार") ने प्राधिकारी के समक्ष यह गलत प्रस्तुत किया था कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात किया, यहां तक कि यद्यपि, जांच की अवधि के दौरान डबलस्टार द्वारा भारत को संबद्ध सामानों के कोई निर्यात नहीं थे।
 - xi. जब पाटनरोधी जांच के अनुसरण में न्यू शिपर जांच की जाए, जहां नमूनाकरण पद्धति अपनाई गई हो, न्यू शिपर को शुल्क की गैर नमूनाकृत दर प्रदान करने की प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी है। इस प्रकार, यदि शेनडोंग ने उस समय न्यू शिपर जांच के लिए आवेदन किया होता, जब उसने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात शुरू किया, तो उसे पाटनरोधी शुल्क की गैर-नमूनाकृत दर प्रदान की गई होती। चूंकि शेनडोंग ने प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत पर निर्णायक समीक्षा जांच में भाग लिया है, अतः पाटनरोधी शुल्क की गैर नमूनाकृत दर उन्हें वर्तमान गैर नमूना जांच के अनुसरण में प्रदान की जा सकती है। घरेलू उद्योग को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, यदि शेनडोंग को 316.10 अम.डॉ./एमटी की पाटनरोधी शुल्क दर में रखा जाता है।
 - xii. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शेनडोंग के तथ्य और परिस्थितियों विशिष्ट हैं और उन उत्पादकों/निर्यातकों की अन्य स्थितियों के बराबर नहीं रखी जा सकती, जिन्होंने प्राधिकारी द्वारा की गई अन्य निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया। शेनडोंग को आयात प्रतिबंध के रूप में भारत सरकार द्वारा लगाए गए गैर प्रशुल्क अवरोध की मौजूदगी के कारण जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात करने से रोका गया था। अतः किसी निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात न करने वाले

उत्पादकों/निर्यातकों को शुल्क की अन्य सभी दरें प्रदान करने की प्राधिकारी की कोई विद्यमान परिपाटी वर्तमान मामले में प्रदान नहीं की जा सकती।

- xiii. क्षति की संभावना का निर्धारण भारत को आयातों की वास्तविक संभावना और इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की वास्तविक संभावना के आधार पर होना चाहिए। आयातों पर प्रतिबंध दो वर्ष से भी अधिक से जारी हैं और उसकी वापसी के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं है। आयातों पर इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप भारत में संबद्ध सामानों के आयातों में काफी गिरावट आई है और पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने पर भी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
- xiv. प्रतिकारी शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 23 जून, 2024 तक लागू है। इस प्रकार, यदि निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क वापस लिया भी जाता है, तो भारत को आयात 23 जून, 2024 तक प्रतिकारी शुल्क के अध्यधीन होंगे।
- xv. संबद्ध सामानों के उत्पादन में प्रयुक्त कई कच्ची सामग्रियों और पूंजीगत सामानों पर पाटनरोधी शुल्क/प्रतिकारी शुल्क /द्विपक्षीय रक्षोपाय बंद कर दिए गए हैं। 2019 और 2020 के दौरान कच्ची सामग्री और पूंजीगत सामानों पर शुल्क की वापसी के कारण घरेलू उद्योग को आगे आगामी वर्षों में अपने निष्पादन में सुधार लाने की उम्मीद है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

99. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं :

- i. टायर इंपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन खुद को एक हितबद्ध पक्षकार सिद्ध करने में विफल रही और अनुरोध दायर करने के लिए समय की समाप्ति के बाद अनुरोध दायर किए जिससे डब्ल्यू टी ओ द्वारा बताए गए अवसर को समय से लेने के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। अनुरोध को स्वीकार करना अनुचित है और खतरनाक पूर्वोद्धारण हैं। यूएस-हाट रोल्ड स्टील, यूएस- कोरोजन रेसीसटेंट स्टील निर्णायक समीक्षा, यूएस- ऑयल कंट्री टुबुलर गुड्स निर्णायक समीक्षाओं का संदर्भ दिया जाता है।
- ii. चीन सीमा शुल्क के आंकड़ों को रद्द करना अनपयुक्त है, क्योंकि वे जनरल कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चायना से लिए गए हैं। चीन के सीमा शुल्क और डी जी सी आई एंड एस में सूचित आंकड़ों के बीच का अंतर 87 प्रतिशत नहीं हो सकता।
- iii. निर्यातक गैर नमूनाकृत सहयोगी शुल्कों के लिए तभी पात्र बनते हैं जब वे नमूनाकरण के लिए पात्र हों। जिसका अर्थ है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान निर्यात किया है। बिना किसी आयात के यॉनफेंग अलग मार्जिन अथवा गैर नमूनाकृत सहयोगी निर्यातकों के लिए मार्जिन हेतु पात्र नहीं है।
- iv. मानी गई आयात मात्रा कम उल्लिखित की गई है। अनुरोध है कि प्राधिकारी विवरण से आयातों पर विचार करें न कि सीमाशुल्क वर्गीकरण से क्योंकि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है।
- v. पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दर्शाने के लिए संशोधित की जाए जैसी कि परिपाटी है। लागू पाटनरोधी शुल्क और सीवीडी के बावजूद सकारात्मक क्षति मार्जिन है। शुल्क में संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि लगाई गई मात्रा क्षति के बार-बार होने को रोकने के लिए पर्याप्त है।
- vi. संबद्ध देश से क्षति और पाटन की संभावना शेष विश्व को चीन से पाटित एवं क्षतिकारक निर्यातों से सिद्ध कर दी गई है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयात पर 39 प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्णय लिया है।
- vii. प्राधिकारी द्वारा संभावना की जांच शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति और पाटन बार-बार होने की संभावना दर्शाती है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

100. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि प्राधिकारी को 'ऑफ रोड माइनिंग टायर्स' को पीयूसी के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर करना चाहिए, प्राधिकरण का विचार है कि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि पीयूसी "नया/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर था। ट्यूबों के साथ या बिना और/या रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायरों सहित) जिनका नाममात्र रिम व्यास 16" से ऊपर का कोड बसों और लॉरियों /ट्रकों में उपयोग किया जाता है"।

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेंनडोंग योंगफेंग टायर्स कंपनी, लिमिटेड ने यह मुद्दा उठाया है कि उसे आयात प्रतिबंध के रूप में भारत सरकार द्वारा लगाई गई गैर प्रशुल्क बाधा की मौजूदगी के कारण जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात करने से रोका गया है और यदि शेंनडोंग ने न्यू शिपर जांच के लिए उस समय आवेदन किया होता, जब उसने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करना शुरू किया तो उसे पाटनरोधी शुल्क की गैर नमूनाकृत दर प्रदान की गई होती और साथ ही यह कि शेंनडोंग ने प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत पर निर्णायक समीक्षा जांच में भाग लिया है, पाटनरोधी शुल्क की गैर नमूनाकृत दर वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में उन्हें प्रदान की जा सकती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्विंगडाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रियल कं. लि. ने उसे पाटनरोधी शुल्क की गैर नमूनाकृत दर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि निर्यातक गैर-नमूनाकृत सहयोगी शुल्कों के लिए केवल तभी पात्र होता है जब वे नमूनाकरण के लिए पात्र हों, जिसका अर्थ यह है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान निर्यात किया हो। इस संबंध में प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि चूंकि क्विंगडाओ डबलस्टार ने जांच की अवधि के दौरान 'ऑफ रोड माइनिंग टायर' (एचएस कोड 40118000) का निर्यात किया है जोकि विचाराधीन उत्पाद नहीं है और शेंनडोंग योंगफेंग टायर्स कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के कोई निर्यात ही नहीं किए हैं अतः वे मूल जांच के गैर नमूनाकृत शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं। अतः प्राधिकारी ने उनके अनुरोध को रद्द किया है।
102. इस मुद्दे के संबंध में कि आवेदक की कीमतों को प्रभावित करने के लिए आयातों की मात्रा बहुत कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब शुल्क लागू होता है, तो वर्तमान मामले की तरह आयातों पर इसका प्रभाव पड़ना लाजमी है लेकिन उस प्रभाव के बावजूद, आयात पाटित और हानिकारक कीमतों पर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान शुल्क समाप्त हो जाता है तो पाटन और क्षति की प्रबल संभावना है।
103. इस मुद्दे के संबंध में कि प्रकटन विवरण में अत्यधिक गोपनीयता के उत्तरदाओं की सुरक्षा करने की क्षमता में बाधा आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीयता उन वित्तीय मानदंडों के संबंध में ली गई है जहां गोपनीयता आवश्यक थी।
104. इस मुद्दे के संबंध में कि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार बार होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वर्षों से प्रतिबंधों के विभिन्न रूप मौजूद हैं और यहां तक कि यदि भारतीय बाजार में अतिरिक्त क्षमताएं मौजूद नहीं हैं, उत्तरदाताओं के लिए आकर्षक बाजार नहीं है और इसके अतिरिक्त यह कि जांच की अवधि के दौरान क्विंगडाओ डबलस्टार की तीसरे देश के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से तीसरे देशों को काफी निर्यात पाटन और क्षति की कीमत पर हैं, जो एक स्पष्ट संकेत है कि जो भारत में पाटन की संभावना और परिणामस्वरूप क्षति की संभावना दर्शाते हैं, यदि वर्तमान शुल्क बंद कर दिया जाए।
105. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के इस मुद्दे के संबंध में कि आवेदक द्वारा लाए गए व्यापार परिवर्तन और अन्य आरोप पाटनरोधी जांच के क्षेत्र और परिधि में नहीं आते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार ही निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की है।
106. इन मुद्दों के संबंध में कि चूंकि भारत सरकार द्वारा आयातों पर लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप भारत में संबंध सामानों के आयातों में काफी गिरावट आई है तथा पाटनरोधी शुल्क यदि वापस लिए जाएं तो भी बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती है; यह कि प्रतिकारी शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 23 जून, 2024 तक लागू है, यह कि 2019 और 2020 के दौरान कच्ची सामग्री और पूंजीगत सामानों पर शुल्क की वापसी के कारण घरेलू उद्योग आगामी वर्षों में अपने निष्पादन में सुधार करने की उम्मीद रखता है और यह कि इसीलिए क्षति की संभावना का निर्धारण भारत में आयातों की वास्तविक संभावना और उन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की वास्तविक संभावना के आधार पर होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से तीसरे देशों को काफी निर्यात पाटित और क्षतिकारक कीमत पर हैं जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत में पाटन की संभावना है और यदि वर्तमान शुल्क बंद हो जाते हैं तो परिणामी क्षति होगी।
107. इस बात के संबंध में कि टायर इंपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन खुद को एक इच्छुक पार्टी के रूप में स्थापित करने में विफल रहा और समय सीमा के बाद भी प्रस्तुतियाँ दाखिल की, प्राधिकारी ने इन कारणों से उनके अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा पहले ही उठाए गए समान अनुरोधों को संबोधित किया गया है।
108. इन मुद्दों के संबंध में कि चीन सीमाशुल्क के आंकड़ों को रद्द करना अनप्रयुक्त है, क्योंकि वे जनरल कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चायना से लिए गए हैं और यह कि चीनी सीमाशुल्क और डी जी सी आई एंड एस में सूचित आंकड़ों के बीच अंतर 87 प्रतिशत नहीं हो सकता, प्राधिकारी का यह मत है कि डीजी सिस्टम के आंकड़े भारतीय सीमाशुल्क के आंकड़े हैं और इस प्रकार अत्यधिक विश्वसनीय हैं।

ठ. भारतीय उद्योग के हित

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग का उपयोग करके अपने लाभ बढ़ाने के लिए एक लुटेरे तंत्र को अपना रहा है। आवेदक का प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकताओं का उपयोग करने और व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के हितों को लड़खड़ाने के लिए एक निर्धारित तंत्र है। सर्वप्रथम वे पाटनरोधी शुल्क और सीवीडी के रूप में काफी प्रशुल्क बाधाएं लगाने के प्रति लॉबी बनाते हैं, जिससे वे किसी बाहरी प्रतिस्पर्धा से खुद को बचाते हैं। इससे घरेलू बाजार में भारतीय उत्पादकों का एकाधिकार बनता है। इसके बाद, सभी उत्पादक एक उद्योग के रूप में संकलित तरीके से अपनी कीमतें काफी बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों ने टायरों के लिए आयात नीति के संशोधन के बाद संबद्ध सामानों की कीमतें भी बढ़ाई हैं।
- ii. बाजार के व्यवसायिक समूहन के लिए साधन के रूप में व्यापार उपायों का प्रयोग करने का आवेदक के इस व्यवहार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विगत में रोष भी प्रकट किया गया है जो न केवल आवेदक पर बल्कि आवेदक के प्रमुख व्यक्तियों पर भारतीय वित्तीय दंड लगाने की सीमा तक भी गया।
- iii. अतः उत्तरदाता यह अनुरोध करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने से भारत में संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं के हित पूरे नहीं होंगे। तदनुसार, वर्तमान निर्णायक समीक्षा रद्द की जाए।
- iv. प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच परिणामों में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता भारत में एकाधिकार सृजित करने के लिए एक हथियार के रूप में व्यापार उपचार उपायों का प्रयोग करते हैं, जिससे भारतीय प्रयोक्ता उद्योग के हित काफी प्रभावित होते हैं।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।
- ii. प्रयोक्ता/आयातक उद्योग से प्रतिभागिता का अभाव यह दर्शाता है कि उन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
- iii. संबद्ध आयात पूरी तरह से अनावश्यक है क्योंकि देश में कोई मांग आपूर्ति अंतराल नहीं है। घरेलू उद्योग के पास देश में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक क्षमताएं हैं। इसके बावजूद कि सस्ते आयातों की मात्रा बढ़ती रही है जिसने नकारात्मक रूप से घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है।
- iv. संबद्ध सामान काफी शेल्फ लाइफ वाले उपभोक्ता सामान हैं। परिणामस्वरूप, अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है। अतः विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं पर और व्यापक रूप से जनता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान में उसकी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए घरेलू तौर पर ली गई कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इससे ऊपरी स्तर के कच्ची सामग्री के उत्पादकों के लिए अच्छी मांग और बाजार उपलब्ध होता है। अतः घरेलू उद्योग ऊपरी स्तर के उद्योग के लिए भी सीधे ही लाभदायक है।
- vi. यह तब तक ही जारी रह सकता है जब तक संबद्ध सामानों के पर्याप्त स्तर का उत्पादन करने वाला अच्छा घरेलू उद्योग है। यदि शुल्क नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो कम कीमत वाले आयात बाजार में फैल जाएंगे जिससे घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों के लिए मांग की कमी बन जाएगी और इसीलिए न केवल घरेलू उद्योग को क्षति होगी बल्कि ऊपरी स्तर के उद्योग को भी क्षति होगी।
- vii. घरेलू उद्योग प्रमुख रूप से केरल में समूहित पौधों से रबड़ का सबसे बड़ा क्रेता है। ऊपरी स्तर के रबड़ की खेती करने वालों और रबड़ के उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवेदक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) देश में रबड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए 1100 करोड़ रूपए की एक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। "मेक इन इंडिया" योजना के अनुरूप यह सहयोग सीधे ही रबड़ उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के एक बड़ा कदम है। इस प्रस्ताव से पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानीय रबड़ कृषकों के लाभान्वित होने की उम्मीद है क्योंकि बड़ी हुई उपज से वे अधिक लाभ कमा पाएंगे और अपने जीवन स्तर में सुधार ला पाएंगे।

- viii. उपभोक्ता हमेशा अच्छे और प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग प्राप्त कर लाभान्वित होंगे, जो उचित कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा में समग्र घरेलू मांग को पूरा कर सकते हैं।
- ix. उपभोक्ताओं को अत्यधिक मालसूची बनाए रखनी होगी, यदि उन्हें आयातित सामग्री पर निर्भर रहना हो। तथापि, घरेलू उद्योग से खरीद की स्थिति में मालसूची भंडार काफी कम स्तर पर रखा जा सकता है। अतः यदि प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से खरीद करते हैं, तो प्रयोक्ता नियोजित पूंजी पर काफी रूकी हुई राशि बचा पाएंगे।
- x. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि चीन जन.गण. में उत्पादक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से काफी सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। चीनी लागतें और परिणामस्वरूप कीमतें सरकारी मध्यस्थता से प्रभावित होती हैं। परिणामस्वरूप संबद्ध देश में उत्पादन लागत भारत में उत्पादन लागत से काफी कम हैं।
- xi. विचाराधीन उत्पाद का देश में विनिर्माण करने और आयातों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है।
- xii. घरेलू उद्योग काफी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों तरह नियोजित लोगों की संख्या 6,000 से अधिक तक बढ़ गई है।
- xiii. भारत में टायर उद्योग ने रेडियल टायरों के लिए उत्पादन सुविधाओं में भारी निवेश किए हैं। उत्पादन क्षमताओं में इस वृद्धि ने वह विश्वास बताया है जो घरेलू उद्योग का भारत में मांग का उत्पादन करने की भावी वृद्धि पर है।
- xiv. घरेलू उद्योग प्रति वर्ष नैगमिक सामाजिक दायित्व पर भी भारी खर्च करता है। उनके सी एस आर प्रयासों के भाग के रूप में एक दूसरी आवेदक कंपनी एम आर एफ टायर्स ने सुरक्षित पेय जल, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधा, खेल प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने और सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को कम करने के उपायों पर जोर दिया है।
- xv. एक आवेदक कंपनी जे.के. टायर्स ने आर्गनिक रूप से 14.7 एम डब्ल्यू पी ऊर्जा संरक्षण करने के लिए अपनी विनिर्माण इकाइयों में सौर पैनल संस्थापित किए हैं। ये कंपनी कोयले के स्थान पर बायोमास लाने पर भी जोर दे रही है और इसने "ग्रीन कोल" विकसित करने के लिए 25,000 से अधिक बांस के पेड़ लगाए हैं। इस कंपनी ने कुल मिलाकर 53 प्रतिशत तक अपनी कार्बन उत्सर्जन ग्रहणता कम कर दी है और 55 प्रतिशत तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग बढ़ाया है। यह कंपनी जल संरक्षण प्रयास भी करती है।
- xvi. जहां तक घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि का संबंध है, वह कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रूकेगी और उपभोक्ताओं को संबद्ध सामानों के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
112. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने आयातकों और उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांचों के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की।
113. जहां तक आयातक अथवा एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है, इनमें से किसी भी पक्षकार ने व्यापक रूप से जनता पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है। जैसा कि इन जांच परिणामों में पहले ही नोट किया गया है, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उपभोक्ताओं पर शुल्क बढ़ाए जाने का प्रभाव दर्शाने के लिए कोई सत्यापनीय सूचना नहीं दी है।
114. यहां तक कि यद्यपि, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और यह बताने के लिए कि पाटनरोधी शुल्क के बढ़ाए जाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा, प्रयोक्ताओं के लिए प्रपत्र निर्धारित किए हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संगत सूचना नहीं दी है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है।

115. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का संभावित प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध नहीं किया है तथापि, यहां तक कि यदि यह माना जाए कि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने से संबद्ध सामानों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं तो उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित किया जाए। पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त करना; घरेलू उद्योग की क्षति को रोकना और उपभोक्ताओं को संबद्ध सामानों के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करना है।
116. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्क लगाए जाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब आवश्यक कानूनी अपेक्षाएं पूरी की जाएं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर नगण्य है और प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में होगा।

ठ. निष्कर्ष

117. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया गया है, को ध्यान में रखते हुए तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, नकद लाभ, पीवीआईटी और निवेश पर आय जैसे मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि में सकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अच्छा वित्तीय निष्पादन दर्शाया है।
 - यद्यपि संबद्ध देश से आयात में जांच की अवधि में गिरावट आई है और पाटनरोधी शुल्क लागू है, तथापि आयात पाटित कीमतों पर आ रहे हैं।
 - संबद्ध आयातों में जांच की अवधि में भारत में मांग की तुलना में गिरावट आई है। भारत में उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयातों में काफी गिरावट आई है।
 - संबद्ध देश से आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं जिससे सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है।
 - आयातों की पहुंच कीमत क्षति की अवधि और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
 - संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों के पास भारतीय मांग की अपेक्षा कहीं अधिक क्षमताएं हैं।
 - उनके पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं भी हैं जिन्हें विद्यमान शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए प्रयुक्त किए जाने की संभावना है।
 - सरकार ने केवल लाइसेंस के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित किया है लेकिन उनके आयात पर प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं लगाया है। नियम और शर्तों को पूरा करने के बाद लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
 - जब शुल्क लागू होता है, तो वर्तमान मामले की तरह आयातों पर इसका असर होना तय है, लेकिन उस प्रभाव के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं के आयात पाटित और हानिकारक कीमतों पर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान शुल्क समाप्त हो जाता है तो पाटन और क्षति की प्रबल संभावना है।
 - मौजूदा स्थिति में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, भारतीय बाजार सामान्य रूप से स्वस्थ आर्थिक प्रदर्शन दिखा रहा है, जो इसे चीनी उत्पादकों के लिए आकर्षक बना रहा है। यह एक मजबूत संकेतक है कि इस बात की संभावना है कि संबद्ध देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटित निर्यात तेज हो जाएगा, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
 - संबद्ध देश से तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पर्याप्त रूप से पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर है। ये कारक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में इस बात की संभावना है कि संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पाद के पाटित निर्यात भारी मात्रा में बढ़ेंगे जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाएंगे।

ड. सिफारिशें

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।
119. यह निष्कर्ष निकालने पर कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू

पाटनरोधी शुल्क आगे जारी रखा जाए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि यहां ऊपर सिद्ध किया गया है, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा राशि को बढ़ाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी 3 वर्षों की आगे की अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका में कॉलम 7 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करना आवश्यक मानते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40112010	न्यू/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों के बिना आयातित ट्यूबों और/अथवा फ्लैपों को छोड़कर बसों और लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नाममात्र के रिम डायर कोड वाले ट्यूबों और/अथवा रबड़ के फ्लैप के साथ अथवा उसके बिना न्यू/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर (जिनमें ट्यूबलैस टायर शामिल हैं)"	चीन जन.गण.	चीन जन गण सहित कोई भी देश	कोई भी	452.33	अम.डॉ.	मी.ट.
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	452.33	अम.डॉ.	मी.ट.

120. इस अधिसूचना के प्रयोजन के आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8 ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

ढ. आगे की प्रक्रिया

121. इन जांच परिणामों से केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDINGS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2022

[Case No. AD (SSR) – 02/2022]

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed on the imports of "New/unused pneumatic radial tyres" with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16 "used in buses and lorries/trucks", originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 07/02/2022-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof;

1. The Designated Authority had initiated the original investigation concerning imports of “New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks”, originating in or exported from China PR vide Notification No. 14/14/2015-DGAD dated 03rd May, 2016. The final findings notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/14/2015-DGAD dated 01st August, 2017 recommending imposition of definitive Anti-Dumping Duty (ADD) on the imports of the subject new/unused pneumatic radial tyres, originating in or exported from China PR. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 45/2017-Customs (ADD) dated 18th September, 2017.
2. The Authority had thereafter initiated a new shipper review investigation concerning imports of ‘New/unused Pneumatic Radial Tyres’ originating in or exported from China PR vide Notification No. 7/8/2018-DGAD dated 16th May, 2018. The final findings notification was issued by the Authority vide Notification No. 7/8/2018-DGAD dated 02nd May, 2019, terminating the investigation.
3. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) received an application from Automotive Tyre Manufacturer's Association or ATMA (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “Applicant Association”) requesting initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of ‘New/unused Pneumatic Radial Tyres’ (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”). The relevant information as per prescribed formats to establish injury to the domestic industry has been provided by the following members of the Applicant Association (hereinafter also referred to as the “applicant companies”):
 - i. Apollo Tyres Limited
 - ii. J.K Tyre Industries Limited and
 - iii. MRF Limited
4. In terms of Section 9A (5) of the Act, ADD imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”
5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No 7/02/2022-DGTR dated 30th March, 2022, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping

Rules to review the need for continued imposition of ADD in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of the said ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

7. The anti-dumping duties on the subject goods were extended up to and inclusive of 17th December, 2022 vide Notification No. 21/2022-Customs (ADD) dated 8th June, 2022.
8. The scope of the present review covers all the aspects of the final findings Notification No. 14/14/2015-DGAD dated 1st August, 2017 which had recommended the imposition of ADD on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the application for sunset review investigation before proceeding to initiate the present investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th March, 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review investigation concerning anti- dumping duty imposed on imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 30th March, 2022 to the Embassy of the subject country in India, the known producers, and exporters from the subject country, the known importers/user associations and the other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant Association. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Aeolus Tyre Co., Ltd.
 - ii. Dingying ZhongYi Rubber Co., Ltd.
 - iii. Doublestar-Dongfeng Tyre Co., Ltd.
 - iv. Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd.
 - v. Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd.
 - vi. Haoyou Tyre Co., Ltd.
 - vii. Jiangsu General science Technology Co., Ltd.
 - viii. Kupo Chengshan (shandong) Tyre Co., Ltd.
 - ix. Kenda Rubber (China) Co., Ltd.
 - x. Michelin (Shen Yang) Tyre Co., Ltd.
 - xi. Pirelli Tyre Co., Ltd.
 - xii. Qingdao Yellow Sea Rubber Company Limited
 - xiii. Shan Dong Jin Yu Industrial Co., Ltd.
 - xiv. Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.
 - xv. Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd.

- xvi. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd
- xvii. Shandong Xingyuan International Trading Co., Ltd.
- xviii. Shandong Yinbao Tyre Group Co., Ltd.
- xix. Shanghai Type & Rubber Co., Ltd.
- xx. Shandong Wanxin Tire Co., Ltd.
- xxi. Triangle Tyre Co., Ltd.
- xxii. Shengtai Group Co., Ltd.
- xxiii. Sichuan Haida Rubber Group Co., Ltd.
- xxiv. Linglong
- xxv. Guizhou Tire
- xxvi. Sailun Tire
- xxvii. Jianxin Tire (Fujian) Co., Ltd.
- xxviii. Taishan Shandong Tire Co., Ltd.
- xxix. Prinx Chengshan
- xxx. Zhingce Rubber
- xxxi. Guangxi New Guilun Rubber Co., Ltd.
- xxxii. Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.
- g. In response to the above notification, the following producers/exporters have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses and/or legal submissions:
 - i. Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. ("DS Qingdao")
 - ii. Doublestar International Trading (Hong Kong) Co., Limited ("DS HK")
 - iii. Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.
- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. AG. Industries
 - ii. Agk Digital Private Limited
 - iii. Audio Galaxy
 - iv. Aeolus Tyre India Opc Private Limited
 - v. Alliance Traders
 - vi. Akhil Impex Building
 - vii. Amitt Enterprises
 - viii. Arora Enterprises
 - ix. Celite Tyre Corporation
 - x. Asis Enterprises
 - xi. Caroline Furnishers Private Limited
 - xii. Chadha Tyre Traders
 - xiii. Delhi Tyre Shoppe
 - xiv. Deep Enterprises

- xv. Electro Link
 - xvi. Dashmesh Trading Co
 - xvii. Ess Infraproject Private Limited
 - xviii. Eknoor Tyres Private Limited.
 - xix. Globus Corporation
 - xx. Gupta Tyre House
 - xxi. Genetic Sales Corporation
 - xxii. Ganpati Overseas
 - xxiii. H.S. International
 - xxiv. Hind Traders
 - xxv. H.S. Arora & Co.
 - xxvi. H.D. International
 - xxvii. Hayer Trading Co
 - xxviii. Hind Traders
 - xxix. Indian Rubber Manufacturers Research Association
 - xxx. K S B Group
 - xxxi. Shiv Shakti Enterprises
 - xxxii. Nand Rubber Pvt.Ltd.
 - xxxiii. Paras Auto Parts
 - xxxiv. Prem Trading Company
 - xxxv. Rajpal Roadlines Pvt Ltd
 - xxxvi. Pioneer Trading Corporation
 - xxxvii. Rameshwar Dass & Co.
 - xxxviii. R S Enterprises
 - xxxix. Universal Trading Company
- i. In response to the above notification, Pioneer Trading Corporation and Tyre Importers Welfare Association, both claiming to be the importer's association of the subject good registered as the interested parties and appeared before the Authority in the oral hearing. However, none of the members of the association responded or submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions in timely manner. Tyre Importers Welfare Association filed the submissions beyond the prescribed deadline.
- j. The Authority sent questionnaires to the following known user association of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- i. All India Motor Transport Congress
 - ii. Society of Indian Automobiles Manufacturers
 - iii. All India Confederation of Goods Vehicle
 - iv. All India Transporters Welfare Association
- k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.

- l. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is October, 2020-September, 2021 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI.
- m. The Authority obtained transaction-wise import data from the DG systems for the injury period. The applicant association has also submitted import data sourced from China Customs. The Authority has analysed the data after due examination of the transactions.
- n. Verification of the data provided by the domestic industry and the responding exporters was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- o. The non-injurious price (hereinafter referred to as “NIP”) based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 08th August, 2022. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with the other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- q. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 07.09.2022 and the interested parties were allowed time upto 13.09.2022 to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final findings notification.
- r. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this final findings notification.
- s. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final findings, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- t. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- u. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided the necessary information during the course of the investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.
- v. ‘***’ in this final findings notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1=74.53.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions by the other interested parties

10. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article.

C.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

11. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:

- a. The product under consideration is 'New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16 used in buses and lorries/trucks.' Since the present investigation is a sunset review, the product under consideration remains the same as defined in the previous investigation. There are no developments that took place over the period.
- b. The product manufactured by the domestic industry is like article to the product imported from the subject country. The issue of like article has already been examined by the Authority in previous investigations as well.

C.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

12. The product under consideration in the present investigation is "New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16 used in buses and lorries/trucks". The product under consideration is the same as defined in the previously conducted investigation, which was defined as follows in the final findings:

"8.

- i. *The product under consideration (PUC) in the present investigation is "New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks". The scope of the product under consideration includes both tube type and tubeless. In tube type tyre, tyre is used along with one tube and one flap in a vehicle. One tyre, one tube and one flap are together sold as a "tyre set" and described as "TTF". The term "TTF" is prevalent in the industry, to denote a "tyre set". Tyre, tube and flap jointly render the function of "tyre" in a vehicle. Sale of tyre, tube and flap are primarily on "TTF" or "tyre set" basis. Tubeless radial tyres, where tube and flap are not required, are also within the scope of this investigation.*
 - ii. *The scope of the imported product includes only radial tyres used in buses and lorries / trucks... All other types of tyres are beyond the scope of the product under consideration in the present investigation.*
 - iii. *Subject goods are classified in Chapter 40. Tyres are classified under customs subheading no. 40112010 and tubes and flaps are under 40131020 and 40129049 respectively. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of investigation.*
 - iv. *The Authority further notes that import of TBB is already attracting ADD on imports from China and is beyond the scope of the product under consideration.... All tyres falling under the scope of PUC classifiable under customs subheading no. 40112010 and tubes and flaps classifiable under 40131020 and 40129049 respectively of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 are within the scope of the product under consideration and all other kinds of tyres, tubes and flaps not classifiable under these customs classification are beyond the scope of the product under consideration."*
13. Since the present investigation is a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. The subject goods are classified under Chapter 40 of the Customs Tariff Act. Tyres are classified under customs subheading 40112010 and tubes and flaps are under 40131020 and 40129049 respectively. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration.
 14. The Authority notes from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from the subject country in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, determines that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions by the other interested parties

15. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and the standing.

- a. Absence of CEAT's participation and consequent change in the constitution of the domestic industry prevents fair examination of the likelihood of injury. Exclusion of an entity as a constituent of the domestic industry in the sunset review, which was one of the applicant domestic producers and a constituent of domestic industry in the original investigation, cannot be allowed with the sole intent of presenting favourable situation for the domestic industry.

D.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

16. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and the standing:
 - a. The present application has been filed by ATMA on behalf of Apollo Tyres Ltd, J.K Tyre Industries Ltd., and MRF Limited. The applicant companies are not related to any exporters of the subject goods in the subject country or any importer of the subject goods in India.
 - b. There are other domestic producers of the subject goods in India such as Birla Tyres, Bridgestone India Private Limited, Continental India Ltd, Michelin India Private Limited and CEAT Limited.
 - c. The production by the applicant companies constitutes more than 50% of the Indian production. The production of the applicant companies accordingly constitutes a major proportion in the Indian production.
 - d. The applicant companies have not imported the product under consideration from the subject country. Nor are they related to any importer or exporter of the product under consideration.
 - e. Non-participation of CEAT in the present investigation does not prevent fair examination of likelihood. Reliance is placed on the past findings of the Authority wherein the composition of the domestic industry was changed in a review case.
 - f. The applicant companies, constitutes domestic industry and satisfies the requirement of standing under the Rules 2(b) and 5(3) of the AD Rules.

D.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.
18. The application has been filed by ATMA on behalf of Apollo Tyres Ltd, J.K Tyre Industries Ltd., and MRF Limited, the domestic producers of the product under consideration, those have provided detailed information for the present investigation. The applicant companies account for more than 50% of the total Indian production. The applicant companies account for a major proportion in Indian production of the subject goods. The applicant has certified that they are neither related to any exporters or producers of the product under consideration in the subject country nor any importer of the product under consideration in India.
19. The Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
20. As regards the argument of participation of CEAT in the present investigation, it is noted that Rule 23 requires the designated authority to initiate a review based on a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry. In the present case, Apollo Tyres Ltd, J.K Tyre Industries Ltd., and MRF Limited satisfies the criteria under Rules 2(b) and 5(3) of AD rules to constitute the domestic industry. In any case, the domestic industry has not claimed continued injury and therefore the question whether non participation of CEAT with a “sole intent of presenting favourable situation for the domestic industry” does not arise.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the other interested parties

21. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:
 - a. The application filed by the petitioner has failed to provide nonconfidential summaries of the information claimed confidential without any reasonable justification thereby violating the Rules and Trade Notices.

- b. The application filed by the petitioner has failed to comply with the requirements of the Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018.
- c. The disclosure of data in terms of the above-mentioned trade notice would not result in disclosure of company specific information amongst the domestic producers as claimed by the domestic industry. Therefore, there is no good cause for non-disclosure of such information.

E.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

22. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:

- a. The responses filed are deficient and in violation of Trade Notice 10/2018 and Trade Notice 01/2013, thereby preventing the domestic industry from defending their rights. The exporters have claimed information in public domain confidential, excessive confidentiality on malafide grounds of business propriety, and failed to even provide the responses.
- b. The confidentiality claims of the applicant are in compliance with the Trade Notice 01/2013. The applicant has no objection to undertake any revisions required as per the law, if the Authority is of the opinion that the applicant has failed to comply with the Trade Notices.

E.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule

(4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

- 24. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
- 25. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the other interested parties

26. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- a. Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. did not participate in the original investigation due to no exports to India during the POI. Further, was unable to export in current POI due to import restrictions. However, participated as cooperative producer and was granted individual rate in countervailing duty investigation.
- b. Three non-tariff barriers simultaneously exist for the subject goods.

- c. Assessment of likelihood of injury cannot be conducted by relying on China Customs and not import data from DGCI&S.
- d. The difference between China customs and DGCI&S is due to time difference between export from China and the imports into India.
- e. Data supplied by DGCI&S should take precedence over purported data of any foreign customs Authority.
- f. The Authority in its previous final findings in the Sunset review investigation on the imports of “Polytetrafluoroethylene” from China PR has held that the reasoning for difference between the purported data of a foreign customs authority and that of DGCI&S is outside the scope of the Authority’s decision.
- g. Both the Authority and DGCI&S come under the aegis of the Ministry of Commerce and Industry. Therefore, the Authority should not consider the data supplied by the Indian principal authority on trade statistics as unreliable and that available through Chinese Customs Authority as reliable.
- h. The quantum of PUC imports shall always be less than the quantity for which DGFT has granted import licenses. The Authority may check with the DGFT to verify the quantum for which it has granted import licenses.
- i. The Authority has no means to verify the China customs. There is a possibility that the goods could have been re-exported or transhipped to other countries and did not undergo Indian customs clearance.
- j. Landed value should be recomputed as the rate of custom duty on imports from China is 15% according to the HS code, 14% concession owing to Customs Tariff (Determination of origin of goods under Bangkok agreement rules, 1976) and 10% social welfare surcharge under the Finance Act, 2018. The effective rate of customs duty applicable on imports of the subject goods is 12.9%.
- k. The CCI has already determined that the petitioner has artificially increased its prices by indulging in anti-competitive practices. Therefore, any injury analysis undertaken by the Authority which compares the prices of imports with the artificially high prices of the petitioner would reflect an incorrect factual position.
- l. The petitioner has also been engaging in anti-competitive behaviour relating to determination of PUC prices. The petitioner should demonstrate that the domestic prices are market driven.
- m. Exclude the period from April 2020 to June 2020 which was impacted by the second wave of COVID-19.
- n. Termination of Anti-dumping duty after a period of 5 years is the norm while continuation of duty is an exception to the norm. There do not exist any circumstances calling for invoking the exception under Rule 23(1B) to continue the anti-dumping duty.
- o. Import of tyres as a product has been consistently investigated by the Authority over the years and there has been a long-standing protection that has been given to the domestic industry.
- p. The domestic producers have increased the prices of the subject goods post revision of the import policy for tyres, thereby exploiting the user industry. Reference is placed on the report published by CRISIL.
- q. Post-POI period should be examined by the Authority to assess likelihood of injury to the domestic industry.
- r. The Indian tyre industry's market share has increased to 99.5% during the 5 years and imports from China PR has declined.
- s. The price of tyres has increased by 25-28% over the last 5 year and the industry has made abnormal profit. The users such as small fleet operators have suffered due to increase in prices.
- t. Doublestar Qingdao and Doublestar Hong Kong have provided the complete information to the Authority regarding their related companies including their affiliation, involvement in PUC production or sales, involvement in PUC exported to India, their role in PUC supply chain and details of activities undertaken by each company.
- u. All relevant information regarding the respondents’ group structure is already on record before the

Authority and has been provided by the respondents as part of their questionnaire response. The relevant parties from the respondents' group that were involved in production and export of the subject goods to India during the POI have filed their questionnaire responses, which is in line with the instructions provided in the exporter's questionnaire format prescribed by the Authority.

- v. The Authority can also cross-check from the DG System data if any related party of the respondents has exported the PUC from China PR. All the relevant group companies from Doublestar group that are part of the entire value chain of the respondents have duly cooperated in the present sunset review.
- w. Double Star Hong Kong is merely a trader of the PUC and other products, therefore information related to cost of production is not applicable to DS HK.
- x. DS HK has clearly stated that it has not produced the PUC and has merely exported the PUC produced by its affiliate company Double Star Qingdao. However, DS HK has made a small typographical error in response of the exporter questionnaire response. As the question enquires the list of products which are either produced or sold by the exporter. In Response to this question, DS HK made a typographical error and stated that it has 'produced and sold' Truck and Bus Radial Tires (TBR) and Passenger Car Radial Tires (PCR), rather than simply stating that these products were merely sold by it.

F.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

27. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a. The related parties of the responding exporters/producers have failed to cooperate with the current investigation. The related parties have participated in investigation on the subject goods in the EU and US, and in the original investigation of the subject good in India. The responses filed by them should be rejected.
- b. Qingdao Doublestar has failed to disclose the major acquisitions of Kumho Tires and Shandong Hengyu Technology Co., Ltd., which made it the largest tyre manufacturer in China.
- c. As regards non-participation in the original investigation and inability to export in the POI due to import restrictions, the respondent company could have sought new shipper review. Further, the import restriction policy is not a ban on imports and there has been increase in imports of the subject goods from various other countries.
- d. The unit of measurement used in the questionnaire responses by the respondents are in numbers (PCS) which fail to comply with the standard determined i.e., weight (MT) by the Authority in the original investigation.
- e. Tyre Importers Welfare Association and Pioneer Trading Cooperation registered as interested parties in the present investigation failed to establish/substantiate themselves as an interested party for the purpose of this investigation.
- f. There are significant differences in the volume and value in customs data reported by the China customs and DGCIS&S. Such difference suggests the possibility of evasion of the ADD.
- g. China Customs data is relevant in the current investigation. Reference is placed on various investigations of the Authority where customs data of the subject country has been relied on for the purpose of investigation.
- h. As regards the difference in volume due to time gap, the difference in quantity cannot be 87%. Further, reliance is placed on sunset review investigation concerning imports of "Polytetrafluoroethylene (PTFE)" originating in or exported from China PR (dated 26th April 2022), where the Authority considered the China customs data as it showed high volume of imports at lower price in the POI.
- i. As regards the argument that the Authority has no means to verify the China customs, it is evident from the various findings on likelihood based on the China customs that the Authority has means to verify the customs data.
- j. The investigation undertaken by the Competition Commission of India (CCI) is irrelevant to the current investigation owing to the vastly different investigation period, the different and independent jurisdiction of DGTR and CCI.
- k. As regards the CCI order and the allegation that the domestic prices are not market driven, the mere existence of various players in the market ensures the prices are market driven. Further, the respondents in the CCI order have preferred an appeal before the Appellate Authority.

- l. The existence of other Tariff or Non-tariff measures such as countervailing duty, quality control order or the ITC(HS) Import policy does not bar the domestic industry's right to seek and receive relief from dumping.
- m. The import policy has not curtailed the entry of the subject goods into the country. The classification of imports of the subject goods into free or restricted is a statutory discretion vested with the Government.
- n. As regards the increase in prices of the subject goods post revision of the import policy for tyres, the increase in prices is to recover the increased cost of sales owing to the increase in raw material prices. Reliance is placed on the CRISIL report.
- o. As regards the existence of trade barriers, the quality control order is a standard determined by the Government to ensure safety of the vehicle and human lives. It has been in place since 2011 and is not a trade barrier. The license requirement under import restriction policy is a regulatory requirement and cannot be likened to a non- tariff barrier. The countervailing duties on the subject goods were imposed after detailed investigation to counter unfair trade practise.
- p. No user/importer company have taken part in the investigation since the anti-dumping duty does not adversely impact them. The domestic industry has sufficient capacities to meet the Indian demand, and there is no adverse impact on the consumers and the public at large.
- q. The extension of duty will ensure healthy demand for the upstream raw material producers, downstream will never face shortage of supply, employment to people, conservation of forex reserves and significant investments have been made to ensure the same.
- r. As regards post-POI data, post POI information is not a mandated requirement in a sunset review investigation. The Authority has established likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry without considering post POI information, in several previous cases.
- s. As regards the interpretation that termination of ADD after a period of 5 years in the norm and continuation is an exception, reliance is placed on CESTAT order in the matter of Association of Man-made Fibre Industry of India v. Designated Authority dated 19th May 2022. There is no requirement of special circumstance for extending duties beyond 10 years so long as there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- t. As regards the long-standing protection given to tyre, the subject good has been subject to an original investigation in 2008 where the positive finding was set aside in 2011. The other investigations referred to by the respondents are on NPUC. Further, anti-dumping duty is to prevent unfair trade measures and not to protect the domestic industry. Hence, the imposition of anti-dumping duty till the dumping and consequent injury thereof exists, is justified.
- u. The delayed submissions made by Tyre Importers Welfare Association were made in violation of time limits prescribed by the Authority and the natural justice of the domestic industry.
- v. As regards the increase in share of the Indian industry, the decline in volume of imports from the subject country is due to the existence of the anti-dumping duty.
- w. As regards the increase in the price of tyre over the last 5 years, the increase is to be analysed in relation to the cost of production. The subject imports are suppressing the prices of the domestic industry.

F.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

28. The Authority has considered the submissions made by the parties and determines as follows:

- a. As regards excessive protection, the Authority notes that there is no bar on the number of times a sunset review can be conducted, and the anti-dumping duty extended. The Rules require the Authority to determine whether cessation of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. It is further noted that the recommendation for extension of anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met.
- b. As regards the argument of impact of ADD on the user industry, it is noted that no user/user association has cooperated in the present investigation through filing questionnaire response. This leads to the presumption that though the ADD on the subject goods has been in force for years, the same has not led to any adverse impact on the user industry or the consumers in India. Further, even if it

- is considered that the extension of ADD might affect the price levels of the subject goods, it is noted that fair competition in the Indian market will not be impacted by the ADD. The objective of imposition of the anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by dumping practices, to prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- c. As regards post-POI data, it is noted that examination of post-POI data is not mandatory in a sunset review investigation. The requirement of analysis of the POI data is determined by the Authority depending on the need in a specific case. The likelihood analysis conducted by the Authority, herein below, is sufficient to analyse whether there is a need for extension of the ADD on the subject goods.
 - d. With regard to the participation of Tyre Importers Welfare Association and Pioneer Trading Corporation registered in the present investigation, the Authority notes that both the parties registered themselves as the interested parties. The Authority has also noted that no submissions/ questionnaire responses have been received from Pioneer Trading Corporation or Tyre Importers Welfare Association (TIWA). The post oral hearing written submissions made by TIWA have been received after the expiry of time for filing the written as well as rejoinder submissions. The Authority, therefore, has not accepted their submissions but similar submissions already raised by the other interested parties have been addressed.
 - e. As regards the argument that the findings should be based on the China customs data as it shows significantly higher volume of imports, the Authority notes that though China Customs data shows higher volume of imports, yet there is a possibility that the goods could have been re-exported or transhipped to the other countries and did not undergo Indian customs clearance and further the data might include the NPUC data as well. Therefore, the Authority has relied upon and analysed the DG Systems data.
 - f. As regards the cartelisation and issues concerning possible unfair competition amongst the domestic producers, the Authority considers that the issue has been separately dealt with by the Competition Commission of India. The Authority notes that the scope of the present investigation is with regard to examine the possibility of likelihood of continuation or recurrence of dumping of the product under consideration, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry and whether anti-dumping duties are required to be extended.
 - g. As regards to the issues of dual remedy because of CVD and anti dumping duty already in force on the subject goods and the existence of non-tariff measures in force, the Authority holds that the present sunset review investigation is an independent investigation where the Authority is to examine the possibility of likelihood of continuation or recurrence of dumping of the product under consideration, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry and whether anti-dumping duties are required to be extended.
 - h. As regards the argument on rejection of response of Qingdao Doublestar due to non- participation of its related parties, the Authority has verified the information from DG Systems data and found that even Qingdao Doublestar has not exported the PUC to India during the POI.
 - i. As regards the rate of customs duty for calculation of landed price of imports, the same has been considered as applicable.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

29. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to the normal value, export price and dumping margin:
 - a. Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd. is entitled for individual rate of duty. Actual price of respondent to India or third country can be taken for determining dumping and injury margin. Alternatively, exports to India by Shandong in the year prior to the imposition of import restriction may be considered for determination of dumping margin and injury margin.
 - b. If no individual dumping margin and injury margin can be determined for the respondent, at the very least, non-sampled rate of anti-dumping duty that has been imposed pursuant to the original anti-dumping investigation, may be extended to the respondent.
 - c. The present sunset review investigation is concerning imports from China PR, which is considered as non-market economy country by the Authority. Shandong has also not claimed market economy treatment. Therefore, only those related producers involved in the production of the PUC whose

- product has been exported to India are required to file questionnaire response.
- d. There is no relevance of questionnaire response of related producer in China PR who has not exported to India during the POI.
 - e. Only Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd. is the related entity of Shandong Yongfeng.
 - f. With regard to the claim of the applicant that related entities have filed response in the anti-dumping investigation conducted by the EU, it is noted that the entities claimed to be related by the applicant are not identified as related entities by the EU in its final decision dated 18 October 2018.

G.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

30. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to the normal value, export price and dumping margin:
 - a. The Designated Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
 - b. Unless the producers / exporters in China PR establish their costs and prices are reliable, their domestic costs and prices cannot be accepted for determination of normal value. Failure of the producers and exporters to demonstrate that they are operating under market economy conditions, the normal value should be determined in accordance with the provisions of para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules.
 - c. Since the normal value could not be determined on the price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available, and the selling price cannot be relied on due to dumped imports, the applicant claims the determination of normal value for China on the basis of the constructed cost in India with reasonable profit.
 - d. The applicant has taken the CIF price and adjusted the same for ocean freight, inland freight, marine insurance, port expenses, commission, and bank charges to determine the export price.
 - e. The dumping margin is not only above de-minimis but also significant for the subject country.
 - f. As regard the respondent being entitled for individual rate of duty, the rule and the manual of operating practices and established practice indicates that dumping margin is determined based on export price and normal value during POI. The exporter who has not exported during the POI are not eligible for individual duty rates.

G.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

31. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
 - i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, where meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6), or*
 - ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6); or*

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling, and general costs, and for profits, as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6);
 - (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

32. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
- i. Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. ("DS Qingdao")
 - ii. Doublestar International Trading (Hong Kong) Co., Limited ("DS HK")
 - iii. Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.

A MARKET ECONOMY STATUS FOR CHINESE PRODUCERS

33. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

34. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)
- (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to this questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.
35. The normal value and export price for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

G.4. DETERMINATION OF NORMAL VALUE

36. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

37. The Authority notes that the prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country has neither been made available by the applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source. It is also noted that the interested parties have not provided any verifiable information which could have been adopted by the Authority. The Authority has relied on the determination of normal value for China on the basis of the constructed cost in India with reasonable profit. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

G.5. DETERMINATION OF EXPORT PRICE

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. (“DS Qingdao”) (Producer/Exporter) and Doublestar International Trading (Hong Kong) Co., Limited (“DS HK”) (Exporter)

38. Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. has claimed that it is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods to India directly as well as through its related trader Doublestar International Trading (Hong Kong) Co., Limited. Both Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. and Doublestar International Trading (Hong Kong) Co., Limited have submitted the exporters questionnaire. The Authority noted that the DG Systems data available with the Authority did not show exports of the PUC from Qingdao Doublestar to India in the POI. Qingdao Doublestar was asked to clarify and explain this anomaly. In response, Qingdao Doublestar submitted invoices/packing list/bills of lading, etc. From these documents, the Authority noted that Qingdao Doublestar had exported tyres of ‘off-road mining tyres’ (HS Code 40118000) and not the PUC during the POI. The Authority has, therefore, decided to reject the response of Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.

Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.

39. Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. (“Yongfeng”) is a producer of subject goods in China PR. Yongfeng has provided the relevant information in the prescribed Exporters questionnaire format. The Authority notes that Yongfeng has claimed that it has not made any exports of subject goods to India during the POI but has made exports of the subject goods to India prior to the POI. It has also been submitted by Yongfeng that the company was not able to export the subject goods to India during the POI (1st October, 2020 to 30th September, 2021) due to amendment in import policy by Government of India vide Notification No.12/2015-2020 dated 12th June, 2020 wherein the import of subject goods was brought under the restricted category. Yongfeng has claimed that after the subject goods were brought under the restricted category, no Indian customer has placed the order on it for supply of subject goods.
40. The Authority has not determined the dumping margin for Yongfeng as there are no exports of subject goods to India by it during the POI. Yongfeng has requested the Authority that as they have fully participated in the present sunset review investigation, the anti-dumping duty prescribed for non-sampled producers during the original investigation should be applied for Yongfeng in the event the Authority decides to recommend for continuation for anti-dumping duty pursuant to the present sunset review investigation. The Authority notes that even though Yongfeng has participated in the sunset review investigation, it has not made any exports to India in the POI and, therefore, there is no justification to grant it the non-sampled duty of the original investigation. The Authority has, therefore, decided to reject the request of Yongfeng.

NON-COOPERATIVE EXPORTERS FROM CHINA PR

41. The export price in respect of other exporters from China PR has been determined as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered the imports as reported in the DG Systems data.

G.4. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

42. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margin for the subject goods from subject country has been determined as follows:

SN	Producers	CNV (US\$/MT)	NEP (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
1	All producers/exporters from China PR	***	***	***	***%	30-40

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

43. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- a. The examination of material injury is the starting point to analyse possibility of likelihood of injury. There is improvement in capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, inventory, market share etc.
- b. Exclude the period from April 2020 to June 2020 which was impacted by the second wave of COVID-19.
- c. The economic parameters, namely, total installed capacity, capacity utilisation, total production and profitability of the domestic industry shows significant improvement.
- d. There is no volume or price injury due to the imports. The imports of the subject goods declined to a meagre 305 MT in the POI from 11,844 MT at the start of the injury period in 2018-19.
- e. Price undercutting is irrelevant at meagre level of imports.
- f. Indian demand has not seen dramatic/significant increase.
- g. Injury if any, is caused by imports from Thailand.
- h. Import volume from Thailand is much more than imports from China PR during the POI. In fact, imports from Thailand are higher than imports from China PR during the injury investigation period except for the year 2020-21. However, no anti-dumping duty or countervailing duty is applicable on imports from Thailand.
- i. It may also be noted that the effective basic customs duty on imports of subject goods from Thailand is only 5%.
- j. The domestic industry has itself claimed in its petition that many of the producers in China PR have shifted their manufacturing base to, inter-alia, Thailand. If this aspect is considered relevant for assessment of likelihood, it will support the claim of Shandong that there is no likelihood of increase in imports from China PR because the capacity from China PR has shifted to Thailand and increase in exports to India will not take place from Thailand.
- k. The non-tariff measures existing for raw materials and capital goods for the subject goods have been discontinued and benefited the domestic industry as can be seen in the increase in profitability.
- l. It is easily demonstrable that the domestic industry is neither facing any present nor impending material injury due to the subject imports. The Indian producers of the PUC command 99% of the total Indian demand, leaving practically no market share for imports either from the subject country or other countries.
- m. The imports have not had depressing or suppressing effect on the prices of the domestic industry to a significant degree due to existence of both Anti-dumping and Anti-subsidy duties. The subject imports being extremely small and the fact that the subject goods are already suffering tariff and non-tariff barriers (import policy) restricting the import of the goods into India, there is already ample protection being given to the domestic industry to enable their further growth.
- n. While analyzing the profitability of the domestic industry, the effect of COVID-19 must be segregated, and after such analysis, the domestic industry's profitability parameters would show a sharp improvement. The domestic industry has remained profitable throughout the injury period and have witnessed an improvement in all financial parameters during the POI.

- o. It is evident that there has been a consistent increase in the installed capacity of the domestic industry. There was capital expenditure being done consistently over the period of injury, which explains the reason for rise in Interest/Finance Cost and depreciation and amortization expense over the injury period. This affected overall profitability of the domestic industry.

H.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 44. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
 - a. The imports have continued to enter in the India market at dumped prices.
 - b. Imports are undercutting and underselling the prices of the domestic industry.
 - c. Imports have been suppressing the domestic prices.
 - d. As regards the dumped imports from Thailand, the Authority had previously recommended imposition of duty which was rejected by the Ministry of Finance. An appeal on the same is pending before the Appellate Authority.
 - e. No injury has been suffered by the subject imports due to existence of Anti-dumping duty. However, in the event of cessation of Anti-dumping duty, there is a likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry.

H.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 45. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
- 46. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles."
- 47. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the Domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
- 48. As regards the discrepancy in the import data as per the China Customs and the DG Systems, the Authority notes that there exists a significant difference in the volume and value of imports from the subject country depending on the source of the data. However, the Authority has relied upon DG Systems data for the purpose of the injury analysis as there is a possibility that the goods could have been re-exported or transhipped to the other countries and did not undergo Indian customs clearance and it might include the NPUC data as well. Therefore, the Authority has analysed and relied on the DG Systems data.
- 49. The Authority has examined the various injury parameters on account of imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties.

H.3.1. VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS ON DOMESTIC INDUSTRY

a. Assessment of demand/apparent consumption

- 50. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and all other Indian producers, imports from the subject country as per DG Systems data, and imports from all

other countries.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Sales of domestic industry	MT	4,14,033	3,44,994	3,75,142	4,28,959
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	83	91	104
Sales of other producers	MT	1,19,955	1,26,100	1,19,179	1,35,492
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	105	99	113
Subject imports	MT	11,844	13,267	2,249	305
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	112	19	3
Other countries imports	MT	24,074	13,185	7,725	5,145
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	55	32	21
Total demand	MT	5,69,907	4,97,547	5,04,295	5,69,901
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	87	88	100

51. It is seen that the demand for the subject goods is almost same in the POI as compared to the base year but increased when compared to the previous year.

B. IMPORT VOLUMES FROM THE SUBJECT COUNTRY.

52. About the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on volume of imports from the subject country as per DG Systems data. The factual position is as follows:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Subject country- China PR	MT	11,844	13,267	2,249	305
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	112	19	3
Others	MT	24,074	13,185	7,725	5,145
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	55	32	21
Total imports	MT	35,918	26,452	9,974	5,450
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	74	28	15
Subject Imports in relation to					
Total imports	%	33	50	23	6
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	152	68	17
Indian production	%	2	2	0.39	0.04
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	125	21	2
Indian demand	%	2	3	0.45	0.05
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	128	21	3

53. It is seen that:

- The imports from the subject country have decreased in the POI compared to the base year as well as the previous year.
- The import from the subject country has also shown a decrease in its share in total imports of the product under consideration into India. The share of the subject imports in total imports have declined in the POI compared to the base year.
- The subject imports have decreased in relation to the demand in India in the POI compared to the base year as well as the previous year. The subject imports in relation to production in India has declined significantly.

H.3.2. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

54. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, non-injurious price (NIP) and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country, as per the DG System data.

A. PRICE UNDERCUTTING

55. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price from the subject country. The landed value has been calculated after adding the appropriate customs duty, and other duties applicable to the imports of the product under consideration from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Net sales realisation	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>104</i>	<i>105</i>
Landed price without ADD	Rs/MT	1,62,783	1,45,058	1,46,964	1,71,930
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>89</i>	<i>90</i>	<i>106</i>
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>149</i>	<i>153</i>	<i>102</i>
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	40-50	40-50	20-30

56. It is seen that the imports from the subject country are entering the Indian market at a price below the selling price of the domestic industry resulting in positive undercutting.

B. Price SUPPRESSION AND DEPRESSION

57. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. The table below shows factual position:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>100</i>	<i>102</i>
Selling price	Rs. /MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>104</i>	<i>105</i>
Landed price	Rs. /MT	1,62,783	1,45,058	1,46,964	1,71,930
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>89</i>	<i>90</i>	<i>106</i>

58. It is seen that the landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry over the injury period and the POI.

I. ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

59. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors

and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

60. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

I. PRODUCTION, CAPACITY, CAPACITY UTILIZATION AND SALES

61. The capacity, production, sales, and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Capacity	MT	5,47,202	6,08,158	6,44,173	6,80,491
Trend	Indexed	100	111	118	124
Production	MT	4,69,106	4,00,886	4,16,220	5,13,164
Trend	Indexed	100	85	89	109
Capacity Utilization	%	86	66	65	75
Trend	Indexed	100	77	75	88
Domestic Sales	MT	4,14,033	3,44,994	3,75,142	4,28,959
Trend	Indexed	100	83	91	104

62. It is seen that the domestic industry has increased its installed capacity throughout the injury period and the POI. The production and the sales have increased in the POI as compared to the base year but the capacity utilization has declined in the POI.

II. MARKET SHARE IN DEMAND

63. Market share of the domestic industry, other Indian producers, imports from the subject country, and other countries are shown in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	102	104
Other producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	112	113
Subject countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	21	3
Other countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	63	36	21
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

64. It is seen that there is no significant change in the market share of the domestic industry. However, the share of the subject imports has reduced from ***% base year to ***% in the POI.

III. INVENTORIES

65. Inventory position with the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	98	105

66. It is seen that the average inventories with the domestic industry have increased in 2019-20, declined in 2020-21 and again increased in the POI.

IV. PROFITABILITY, CASH PROFITS AND RETURN ON CAPITAL EMPLOYED

67. Profit, profitability, cash profits, PBIT, and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Profit per unit	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	63	162	147
Total Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	52	147	152
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	74	132	137
Profit before interest and tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	63	150	152
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Range</i>	100	75	131	138

68. It is seen that profits, cash profits and PBIT of the domestic industry declined in 2019-20 but improved thereafter.

V. EMPLOYMENT, WAGES, AND PRODUCTIVITY

69. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	108	111
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	85	89	109

70. It is seen that the employment of the domestic industry has increased in the POI as compared to previous as well as base year. The productivity of the domestic industry has increased in the POI as compared to the base year. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

VI. GROWTH

71. The growth of the domestic industry in terms of major economic parameters are given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	POI
Production	Y/Y	(15)	4	23
Domestic sales	Y/Y	(17)	9	14
Capacity utilisation	Y/Y	(23)	(2)	17
Profit/Loss	Y/Y	(48)	181	4
Cash profit	Y/Y	(26)	78	4
PBIT	Y/Y	(37)	138	1
Return on Capital Employed	Y/Y	(25)	74	6

72. The growth of the domestic industry with respect to volume parameters like production, domestic sales, capacity utilisation, profits, cash profits, PBIT, and returns on investment is positive in the period of investigation.

VII. ABILITY TO RAISE CAPITAL INVESTMENT

73. The domestic industry has not claimed material injury during the POI. The domestic industry has shown a healthy financial performance during the POI.

VIII. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

74. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials of the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin.
75. Since the response of Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. has not been accepted and Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. has not exported the subject goods to India during the POI, the landed price for all the exporters has been determined on the basis of the DG Systems data.
76. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters from China PR has been calculated by the Authority and the same is provided in the table below.

SN	Producers	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range %)
1.	All producers/exporters	***	***	***	***%	20-30

I. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

77. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

A) VOLUME AND PRICES OF IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES

78. It is seen that imports from other countries are either de minimis or at higher prices.

B) CONTRACTION IN DEMAND

79. It is seen that the demand for the product under consideration have increased in the POI as compared to the base year as well as the previous year.

C) CHANGES IN PATTERN OF CONSUMPTION

80. No evidence has been brought by any interested parties about any material change(s) in the pattern of consumption of the product under consideration.

D) CONDITIONS OF COMPETITION AND TRADE RESTRICTIVE PRACTICES

81. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

E) DEVELOPMENTS IN TECHNOLOGY

82. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology.

F) EXPORT PERFORMANCE OF THE DOMESTIC INDUSTRY

83. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis.

G) PERFORMANCE OF OTHER PRODUCTS

84. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the applicant has not been considered.
85. The applicant has not claimed injury due to imports.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION/ RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

86. In a review investigation the Authority is required to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is allowed to cease.

J.1. SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

87. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to likelihood:
- a. Existence of countervailing duties is sufficient to protect the industry from dumping. The petitioner has not evidenced that the existing CVD will be insufficient.
 - b. The product has been placed in the restricted category and the imports have reduced drastically.
 - c. No capacity expansion has been taken by the respondent. There is no excess capacity in China PR. However, mere existence of unutilized capacity does not mean this will be utilized to export the subject goods to India.
 - d. Out of the total sale of the subject goods made by the respondents during the injury period, around 70% of the sales are made in the domestic market. Therefore, the focus is more into meeting the demand of the subject goods in China PR. Further, about 29% of the balance sales are to third countries.
 - e. Revival of demand for tyres indicate that there is no likelihood of injury to the domestic industry. Reliance is placed on the annual reports of Apollo and JK Tyres Industries Limited.
 - f. There has been significant decrease in the subject imports.
 - g. The demand of TBR in China PR is utilised to meet demand in replacement markets.
 - h. Indian demand has not seen dramatic/significant increase.
 - i. India is not a lucrative market and has constituted only 0.10% of the respondent's exports.
 - j. The respondents do not hold inventory and is largely sold in the domestic and third country market.
 - k. It is clear from the above that the domestic industry is oriented towards exports and have been growing their business in the export markets quite profitably.
 - l. The domestic industry are also getting benefitted due to availability of the raw material/ input and machinery at a cheaper price.
 - m. The relevant information about all the related parties has been duly provided to the Authority as part of the questionnaire response and the financial reports enclosed by the respondents. The relevant group companies from Doublestar group that are part of the entire value chain of the respondents have duly cooperated in the present sunset review.
 - n. There are only two companies registered with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) having the keyword 'Kumho' in their name. The name of these two companies is Kumho India Tires Limited and Kumho Electric Power India Private Limited.

- o. These companies did not have any presence in the Indian market of the PUC or any other product during the POI or the injury period.
- p. By virtue of change in the import policy, the import of the subject goods into India are now only possible when DGFT grants a license/authorization to an Indian importer. The DGFT has not been granting licenses to Indian importers leading to a drastic fall in the imports of the subject goods.
- q. The market for the subject goods is divided into two segments – First, for new vehicles where the automobile manufacturers/OEMs are the customers. Second, the replacement market where the user of the vehicles are the consumers. It is clear that the replacement market is the major demand driver in the tyre industry specifically in commercial vehicles segments such as bus and trucks.
- r. Further, radial tyre in bus / trucks have a high aftermarket demand, owing to the requirement of periodic replacement. Going by the claim made by the petitioner, the entire demand of tyres in China PR of bus and trucks would be of subject goods i.e., radial tyres. Therefore, any unutilized capacity or capacity expansion by the Chinese producers, if any, would majorly be utilized to meet the increasing demand of the subject goods in their domestic market.
- s. The petitioner has provided the news report of 2012 which predicts increase in domestic demand of radial tyres. The news report is more than 10 years old. Further, the report itself predicts plateau in radialisation of Medium & Heavy Commercial Vehicles (MHCV), which primarily covers the PUC, in the financial year 2020.

J.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

88. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood:

- a. The dumping margin in the original investigation and subsequent investigations have been significant. The subject goods are being dumped despite the ADD in force. Hence, in the event of cessation of ADD, the dumping and consequent injury would continue.
- b. The producers/exporters from the subject country have a history of dumping in India. They have continued to dump the subject goods despite the ADD in force.
- c. The producers/exporters have a history of dumping the subject goods around the world and has been under investigation for over 22 years.
- d. Potential markets like US and EU have imposed both anti-dumping and countervailing duties on the subject good, thereby significantly reducing the subject country's market. Resultantly, the available capacity can be diverted to the Indian market on cessation of the existing ADD.
- e. Exports made by the Chinese producers to the third countries are at 100% dumped and injurious volumes.
- f. The producers have undertaken significant capacity additions over the injury period. The projected increase of production of the subject goods in the subject country indicated that it could cater to the Indian demand multi-fold times.
- g. Owing to the acquisition of Kumho tires and Shandong Hengyu Technology Co., Ltd, and renovation of its subsidiary Doublestar Dongfeng Tire, Doublestar has expanded its capacity for the subject goods.
- h. The producers in the subject country are significantly export oriented. The increasing sales to other countries by the respondents as per their response indicate the export orientation of the company.
- i. The producers in the subject country have limited market due to acquisition and setting up of subsidiaries and manufacturing facilities in different countries around the world.
- j. There is increased demand for the subject goods in India due to the shift from traditional bias tyres to radial tyres, i.e., radialisation.
- k. The Indian market is price sensitive, and the imports are selectively low prices to India.
- l. India is a lucrative market for the exporters from the subject country as can be evidenced by the long history of dumping. Doublestar group continued to export to India despite the existence of anti-dumping duty, countervailing duty and import restriction policy.
- m. As regards the argument that the respondent does not hold inventory, the inventories for the finished

product reported in the financial statement of the respondent has been increasing continuously.

- n. As regards the argument that the Indian market is not attractive for the respondent, the closure of potential market in the world, and the increasing trends in demand in the Indian market evidence that India is a lucrative market for the Chinese manufacturers.
- o. As regards to capacity expansions during the injury period, the respondent is the largest manufacturer of tyre in China PR and one of the largest in the world.
- p. As regards the existence of countervailing duties, there is no bar in simultaneous investigation and imposition of duties. In the instant case, the period of investigation is different for both cases. Further, the subject goods from the subject countries are being subjected to dual duties in EU and US.

J.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

89. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

I. CONTINUED & EXISTING DUMPING AND INJURY

90. The Authority notes that the imports of product under consideration in the current period of investigation, are at dumped prices despite anti-dumping duty in existence. It is also seen that the subject imports are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry.

II. SURPLUS CAPACITIES IN THE SUBJECT COUNTRY

91. Analysis of the questionnaire responses filed by the responding exporters shows as follows:

	Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.	Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.
Installed Capacity(PCS)	***	***
Total Production (PCS)[PUC+NPUC]	***	***
Capacity utilization %	***%	***%
Production (PCS)(PUC)	***	***
Domestic sales (PCS)	***	***
Exports to other countries (PCS)	***	***

Source: Exporter Questionnaire Response

92. Further information provided by the domestic industry with regard to subject country shows significant capacity additions and expansions undertaken by the manufacturers in the subject country.
93. As per the information on record, the producers of the subject goods in the subject country are having
 - a. having capacities far higher than the Indian demand.
 - b. having significant unutilized capacities which are likely to be utilized to export the subject goods to India in the event of cessation of existing duties.

III. THIRD COUNTRY DUMPING

94. The applicant has submitted that there are trade remedial measures in place on the subject imports from China PR in EU and US since 2018 and 2019 respectively. It would be seen that the exporters in the subject country are dumping the product in third countries as well. Additionally, the expansion of Chinese manufacturers of subject goods and setting up of foreign subsidiaries and manufacturing facilities in foreign countries have reduced the market for subject goods for the exporters in the subject country. In the event of cessation of the existing duties, India would be a target of trade diversion by the producers of the subject goods in China PR.

IV. ATTRACTIVENESS OF THE INDIAN MARKET

95. The domestic industry has submitted that the cessation of ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping causing injury to the domestic industry.

96. The table below shows volume of exports claimed by the domestic industry from the subject country to third countries at dumped, attractive and injurious prices.

B CHINA TO THIRD COUNTRIES

Particulars	UOM	Oct 20 - Sep21	Range with respect to overall third country exports	Range
Dumped Exports based on CNV	MT	36,28,470	98.28%	90-100
Injurious Volumes	MT	33,89,762	91.81%	90-100
Price Attractive volumes	MT	36,01,843	97.56%	90-100
Overall Third Countries	MT	36,92,097		

Source: Trade Map data

Comparison with Indian Demand	UOM	Oct 20 - Sep21	Range with respect to overall third country exports in comparison to Indian demand	Range
Indian Demand	MT	5,69,901		
Dumped Exports based on CNV	MT	36,28,470	637%	630-640
Injurious Volumes	MT	33,89,762	595%	590-600
Price Attractive volumes	MT	36,01,843	632%	630-640
Volumes below DI Cost	MT	32,43,739	569%	560-570

97. It is noted that apart from radialisation, replacement market is also a huge driver of demand for the subject goods. As per the applicant, the Indian market is yet to achieve maximum radialisation. Consequently, Indian market offers potential demand in both radialisation and replacement segments.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions by the other interested parties

98. The following post disclosure submissions have been made by the other interested parties:
- After filing the questionnaire responses, the Authority did not raise any question about whether the goods exported by the Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. qualified to be the PUC. However, in the disclosure statement, the Authority has held that goods exported by the respondents do not qualify to be the PUC. In the disclosure statement, the Authority has held that 'off-road mining tyres', which were exported by the respondents during the POI, do not form part of the PUC and, therefore, are outside the scope of the present investigation. The Authority should explicitly exclude 'off road mining tyres' from the scope of the PUC.
 - If no individual dumping margin and injury margin can be determined for the Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd., then the non-sampled rate of anti-dumping duty that has been imposed pursuant to the original anti-dumping investigation, may be extended to the respondents.
 - The applicant is not suffering from any material injury on account of imports and have stable economic parameters. The Indian producers of the PUC command 99% of the total Indian demand, leaving practically no market share for imports either from the subject country or other countries. The meagre quantity of imports is extremely small to impact the prices of the applicant.
 - Excessive confidentiality in the disclosure statement has hindered the respondents' ability to clearly understand the evidence relied on by the Authority to reach the conclusions derived in the disclosure statement. Therefore, the Authority should issue a revised disclosure statement disclosing these essential financial parameters.
 - There is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The anti-dumping duty having been in force for 5 years now coupled with CVD and non-tariff measure on imports of tyres, producers/exporters from China PR have lost their entire market share in India. Therefore, even if there exist excess capacities, the Indian market is no more a lucrative market for the respondents. Further, minor

exports by the respondents to India during the POI cannot cause any injury to the domestic industry.

- vi. There is no capacity expansion undertaken by Qingdao Doublestar during the injury period.
- vii. Trade diversion and other allegations put across by the applicant do not fall under the purview and ambit of an anti-dumping investigation and especially not in the sunset review of an anti-dumping investigation.
- viii. There has not been any decline in the third country export sales of Qingdao Doublestar during the POI. Therefore, there is no scope to direct their PUC exports towards India even if the anti-dumping duty is discontinued.
- ix. Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. has provided necessary information and has not impeded the investigation. Shandong has been a cooperating producer/exporter in the past as well and absence of exports to India is involuntary due to import restrictions.
- x. Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. ("Doublestar") had misrepresented before the Authority that it had exported the subject goods during the POI even though there were no exports of subject goods to India by Doublestar during the POI.
- xi. It is the established practice of the Authority to extend non-sampled rate of duty to new shippers when application is made by new shipper pursuant to the anti-dumping investigation where sampling methodology was adopted. Thus, if Shandong would have applied for a new shipper investigation when it started exporting subject goods to India, it would have been granted non-sampled rate of anti-dumping duty. Since Shandong has participated in the sunset review investigation upon initiation of sunset review investigation by the Authority, non-sampled rate of anti-dumping duty can be extended to them pursuant to the present sunset review investigation. The domestic industry will not be prejudiced if Shandong is subjected to the anti-dumping duty rate of USD 316.10/MT.
- xii. The facts and circumstances of Shandong in the present sunset review investigation are unique and cannot be simply equated with other situations of producers/exporters who did not export to India during the POI in other sunset review investigation conducted by the Authority. Shandong was prevented from exporting to India during the POI due to existence of non-tariff barrier imposed by Government of India in the form of import restriction. Therefore, any existing practice of the Authority to grant all others rate of duty to producers/exporters who did not export to India during the POI in a sunset review investigation, cannot be extended in the present case.
- xiii. The determination of likelihood of injury should be based on realistic probability of imports into India and the realistic probability of injury to the domestic industry due to such imports. The restriction on imports is continuing for more than two years and there is no date prescribed for its withdrawal. As a result of this restriction on imports, the imports of subject goods into India have significantly declined and cannot also be expected to increase even if anti-dumping duty is withdrawn.
- xiv. The countervailing duty is applicable for a period of 5 years, i.e., till 23rd June 2024. Thus, even if anti-dumping duty is withdrawn pursuant to the sunset review, the imports into India will be subject to countervailing duty till 23rd June 2024.
- xv. The anti-dumping duty/countervailing duty/bilateral safeguards on several raw materials and capital goods used in the production of subject goods have been discontinued. Due to withdrawal of duty on following raw materials and capital goods during 2019 and 2020, the domestic industry is further expected to improve its performance in the coming years.

K.2. Submissions by the domestic industry

99. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry:

- i. Tyre Importers Welfare Association failed to establish itself as an interested party and filed submissions after expiry of time for filing thereby violating principles of timely availment of opportunity advocated by WTO. The acceptance of submission is inappropriate and a dangerous precedent. Reliance is placed on US — Hot-Rolled Steel, US — Corrosion-Resistant Steel Sunset Review, US — Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews.
- ii. The rejection of China customs data is inappropriate as the same has been sourced from General Customs Administration of China. The difference between data reported in China Customs and DGCIS cannot be 87%.
- iii. Exporter becomes eligible for non-sampled cooperating duties only when they are eligible for sampling which means they have exported during the POI. Yonfeng with no exports is not eligible for an individual margin or margin for non-sampled cooperating exporters.
- iv. Import volumes considered have been understated. It is requested that the Authority consider imports by

description and not customs classification, as the latter is only indicative.

- v. The quantum of the ADD may be modified to reflect the dumping margin and injury margin, as is the practice. The positive injury margin is despite the ADD and CVD in place. Modification of duty ensures that the quantum imposed is sufficient to prevent the recurrence of injury.
- vi. The likelihood of injury and dumping from subject country has been established by the dumped and injurious exports from China to the rest of the world. Recently, South Africa has decided to impose 39% of duty on the import of subject goods from China PR.
- vii. The examination of likelihood by the Authority indicates likelihood and recurrence of injury and dumping in the event the duties expire.

K.3. Examination by the Authority

100. Regarding the point raised by the other interested parties that the Authority should explicitly exclude 'off road mining tyres' from the scope of the PUC, the Authority is of the view that it was explicitly defined that the PUC was "New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks".
101. The Authority notes that Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. has raised the point that it was prevented from exporting to India during the POI due to existence of non-tariff barrier imposed by the Government of India in the form of import restriction and if Shandong would have applied for a new shipper investigation when it started exporting subject goods to India, it would have been granted non-sampled rate of anti-dumping duty and also that Shandong has participated in the sunset review investigation upon initiation of sunset review investigation by the Authority, non-sampled rate of anti-dumping duty can be extended to them pursuant to the present sunset review investigation. The Authority also notes that Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. has requested to grant it the non-sampled rate of anti-dumping duty. The Authority further notes that the domestic industry has stated that the exporter becomes eligible for non-sampled cooperating duties only when they are eligible for sampling which means they have exported during the POI. In this regard, the Authority decides that since Qingdao Doublestar had exported of 'off-road mining tyres' (HS Code 40118000) during the POI which is not the PUC and Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. has also not made any exports of the PUC to India during the POI, they are not eligible for non-sampled duty of the original investigation. The Authority has, therefore, rejected their requests.
102. Regarding the point that the quantity of imports is too small to impact the prices of the applicant, the Authority notes that when the duty is in place, it is bound to impact the imports as in the present case but in spite of that impact, the imports are coming at dumped and injurious prices. In such a situation there is rather strong likelihood of dumping and injury if the current duty ceases to exist.
103. Regarding the point that excessive confidentiality in the disclosure statement has hindered the respondents' ability to defend, the Authority notes that confidentiality has been allowed in respect of those financial parameters where such confidentiality was warranted.
104. Regarding the point that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury as various forms of restrictions have been existing for years and that even if there exist excess capacities, the Indian market is no more a lucrative market for the respondents, and further that there has not been any decline in the third country export sales of Qingdao Doublestar during the POI, the Authority notes that the overall data shows that substantial exports from the subject country to third countries are at dumped and injurious price, which is a clear indication that there is likelihood of dumping in India and consequential injury if the current duty ceases to exist.
105. Regarding the point of the other interested parties that the trade diversion and other allegations put across by the applicant do not fall under the purview and ambit of an anti-dumping investigation, the Authority notes that it has carried out the sunset review anti-dumping investigation only as per the anti dumping rules.
106. Regarding the points that since as a result of restriction on imports imposed by the Government of India, the imports of subject goods into India have significantly declined and cannot also be expected to increase even if the anti-dumping duty is withdrawn; that the countervailing duty is applicable for a period of 5 years, i.e., till 23rd June 2024; that due to withdrawal of duty on raw materials and capital goods during 2019 and 2020, the domestic industry is further expected to improve its performance in the coming years and that hence the determination of likelihood of injury should be based on realistic probability of imports into India and the realistic probability of injury to the domestic industry due to such imports, the Authority notes that the overall data shows that substantial exports from the subject country to third countries are at dumped and injurious price, which is a clear indication that there is likelihood of dumping in India and consequential injury if the current duty ceases to exist.

107. Regarding the points that the Tyre Importers Welfare Association failed to establish itself as an interested party and also filed the submissions after the deadline, the Authority has not accepted their submissions for these reasons but similar submissions already raised by the other interested parties have been addressed.
108. Regarding the points that the rejection of China customs data is inappropriate as the same has been sourced from General Customs Administration of China and that the difference between data reported in China Customs and DGCI&S cannot be 87%, the Authority is of the view that the DG Systems data is the Indian customs data and thus very much reliable.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

L.1. Submissions by the other interested parties

109. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the Indian industry's interest:
 - i. The domestic industry is adopting a predatory mechanism to increase their profits by exploiting the user industry. The applicant has a set mechanism for exploiting the needs of the user industry and crippling the interests of automobile industry at large. Firstly, they lobby towards imposition of significant tariff barriers in the form of AD and CVD, thereby, shielding themselves from any external competition. This creates an oligopoly of the Indian producers in the domestic market. Thereafter, all the producers, as an industry, increase their prices significantly in a synchronized manner. Further, the domestic producers have also increased the prices of the subject goods post revision of the import policy for tyres.
 - ii. This behaviour of the applicant of using trade remedies as a means for cartelizing the market has also been reprimanded in the past by the Competition Commission of India which even went to the extent of imposing heavy financial penalties not just on the applicant but also the key individuals of the applicant.
 - iii. Therefore, the respondents submit that the extension of the anti-dumping duty will not serve the interest of the users of the subject goods in India. Accordingly, the present sunset review be terminated.
 - iv. The findings of the Competition Commission have highlighted that the petitioner use trade remedy measures as a tool for creating an oligopoly in India which significantly impacts the interests of Indian user industry.

L.2. Submissions by the domestic industry

110. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interest:
 - i. Imposition of anti-dumping duty on the product under consideration from the subject country will not be against public interest.
 - ii. Absence of participation from user/importer industry show they are not adversely impacted.
 - iii. The subject imports are entirely unnecessary as there exists no demand supply gap in the country. The domestic industry has more than sufficient capacities to cater to the entire demand in the country. Despite that, the volume of cheap imports has continued to increase which has negatively impacted the domestic industry.
 - iv. The subject good is a consumer good with significant shelf life. Consequently, the impact on the anti-dumping duty on the end-consumer is negligible. Therefore, the imposition of anti-dumping duties on the product under consideration will not adversely impact the consumers and the public at large.
 - v. The subject good produced by the domestic industry majorly uses domestically sourced raw materials for its manufacturing process. This provides a healthy demand and market for the upstream raw material producers. Hence, the domestic industry is directly beneficial for the upstream industry as well.
 - vi. This can only continue for as long as there is a healthy domestic industry producing sufficient levels of subject goods. If the duties are not extended, low-priced imports will flood the markets creating a shortage of demand for domestically produced products and hence damaging not just the domestic industry but also the upstream industry.
 - vii. The domestic industry is the biggest purchaser of rubber from the plantations, majorly clustered in Kerala. Keeping in mind the interests of the upstream rubber cultivators and producers of rubber, the applicant and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) are working on a Rs. 1100 crore project to increase rubber production in the country. This collaboration directly in line with the 'Make in India' scheme, is a big step in making India self-sufficient in rubber production. This proposal is expected to benefit the local rubber farmers of the North-Eastern states as the improved yield will enable them to make more profits and improve their standard of living.

- viii. The consumers will always benefit from having a healthy and competitive domestic industry that can satisfy the entire domestic demand in competition to fair priced imports.
- ix. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material. However, in case of procurement from the domestic industry, inventory holding can be kept at much lower levels. Therefore, the users will save significant amount of blockage of capital employed as well if they procure from the domestic industry.
- x. The domestic industry submits that the producers in China PR receive significant government support directly and indirectly, explicitly and implicitly. Chinese costs and consequently prices are affected by government intervention. As a result, the cost of production in the subject country is significantly lower than the cost of production in India.
- xi. There is a need for indigenous manufacturing of the product under consideration and reduce reliance on imports.
- xii. The domestic industry is responsible for providing employment to a significant number of people. The number of people employed by the industry both directly and indirectly in has grown to more than 6000.
- xiii. The tyre industry in India has made massive investments into the production facilities for radial tyres. This increase in production capacities conveys the confidence the domestic industry has on the future growth of the product demand in India.
- xiv. The domestic industry also spends heavily on corporate social responsibility every year. As part of their CSR efforts, MRF tyres, another applicant company, has focused on providing safe drinking water, skill development, healthcare, sports training and measures for reducing social and economic inequalities.
- xv. JK Tyres, one of the applicant companies, has installed solar panels across its manufacturing units to harvest 14.7 MWp of energy organically. The company is also focusing on replacing coal with biomass and have planted more than 25000 bamboo trees to develop 'green coal'. The company in total has reduced its carbon emission intensity by 53% and increased renewable energy usage to 55%. The company also undertakes water conservation efforts.
- xvi. As regards the increase in prices of the domestic industry, the same is due to the increase in cost of raw materials.

L.3. Examination by the Authority

- 111. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 112. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the importers and consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations.
- 113. As regards submissions made by importer or associations, none of these parties have provided any material to show adverse effects of extension of ADD on public at large. As already noted in these findings, none of the interested parties have provided any verifiable information to demonstrate the effect of extension of duties on the consumers.
- 114. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how the extension of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the interested parties have provided relevant information. It is thus, noted that the interested parties have not established any impact of extending the ADD on the user industry with verifiable information.
- 115. It is, thus, noted that while the interested parties have not established possible adverse impact of extension of ADD on the user industry with verifiable information, even if it is considered that the extension of ADD might affect the price levels of the subject goods, the impact of the anti-dumping duty on the consumer shall be negligible. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by

the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by the dumping practices; to prevent the injury to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

116. The Authority further notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met. From the information on record, it is also noted that the impact of anti-dumping duty is negligible to the consumers of the product under consideration, and the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

M. CONCLUSION

117. Having regard to the contentions raised, the information provided and submissions made by the interested parties and the domestic industry and the facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry, the Authority concludes that-
- i. The growth of the domestic industry with respect to volume parameters like production, domestic sales, capacity utilization, profits, cash profits, PBIT, and returns on investment is positive in the POI. The domestic industry has shown a healthy financial performance during the POI.
 - ii. Though the imports from the subject country have decreased in the POI and the anti-dumping duty is in force, the imports are coming at dumped prices.
 - iii. The subject imports have decreased in relation to the demand in India in the POI. The subject imports in relation to production in India have declined significantly.
 - iv. The imports from the subject country are entering the Indian market at a price below the selling price of the domestic industry, resulting in positive undercutting.
 - v. The landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry over the injury period and the POI.
 - vi. The producers of the subject goods in the subject country are having capacities far higher than the Indian demand.
 - vii. They are also having significant unutilized capacities which are likely to be utilized to export the subject goods to India in the event of cessation of existing duties.
 - viii. The government has only restricted the imports of the subject goods by way of licensing but has not banned or prohibited their imports. The licenses can be obtained after meeting the terms and conditions.
 - ix. When the duty is in place, it is bound to impact the imports as in the present case but in spite of that impact, the imports of the subject goods are coming at dumped and injurious prices. In such a situation there is rather a strong likelihood of dumping and injury if the current duty ceases to exist.
 - x. In the current situation when the international markets are facing economic slowdown, Indian market in general is showing healthy economic performance, making it attractive for the Chinese producers. This is a strong indicator that there is likelihood that dumped exports of the PUC from the subject country to India will intensify, causing injury to the domestic industry.
 - xi. The exports of the PUC from the subject country to third countries are at substantially dumped and injurious prices. These factors clearly indicate that in the event of cessation of ADD currently in place, there is likelihood that dumped exports of the PUC from the subject country to India will intensify, causing injury to the domestic industry.

N. RECOMMENDATIONS

118. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
119. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from the subject country is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Authority considers it appropriate to recommend extension of the existing quantum of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country. The Authority, thus, considers it necessary to recommend to the central government continuation of definitive anti-dumping duty on all imports of the subject goods from the subject country as per column 7 in the duty table below, for a further period of three (3) years.

Duty Table

S.No.	Tariff Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40112010	New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks” excluding tubes and or flaps imported without New/Unused pneumatic radial tyres	China PR	Any country including China PR	Any	452.33	USD	MT
2	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	452.33	USD	MT

120. Landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the customs under the customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

O. FURTHER PROCEDURE

121. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority